हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

19 दिसम्बर, 2005

खण्ड 3, अंक 3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 19 दिसम्बर, 2003

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव	(3) 1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)3
बैठक का स्थगन	(3) 6
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(3) 6
बैठक का स्थगन	(3) 7
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(3)8
सदस्यों का नाम लेना	(3) 8
सदस्यों का निलम्बन	(3) 9
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(3)10
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(3) 11
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)20
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना	(3) 22
ध्यानाकर्षण प्रस्ताब	(3)22
घोषणा –	
सचिव द्वारा	(3) 22
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(3)22
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(3) 31
सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र	(3)31

विधान कार्य–	(3)32
दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2005	(3) 82
दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रैगुलेशन आफ अर्बन एरियाज (एमैंडमैंट एंड वैलीडेशन) बिल, 2005	(3)36
दि हरियाणा स्पैशल इकोनोमिक जोन बिल, 2005	(3) 41
दि हरियाणा म्युनिसिपल (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2005	(3) 55
दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एण्ड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एण्ड अलाउंसिज (अमैंडमैंट) बिल, 2005	(3) 62
दि हरियाणा सैलरीज एण्ड अलाउंसिग आफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट) बिल, 2005	(3)63
दि हरियाणा लैजिस्लैटिव असैम्बली (अलाउंसिज एण्ड पैशन ऑफ मैम्बर्ज) सैकिण्ड अमैंडमैंट बिल, 2005	(3) 66
दि पंजाब पैंसैजर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (हरियाणा अमडमैंट) बिल, 2005	(3)69
दि हरियाणा फिस्कल रिसपोसिबिलिटी एण्ड बजट मैनेजमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2005	(3) 70
दि हरियाणा मुर्राह बूफैलो एण्ड अदर मिल्च एनीमल ब्रीड (प्रिजरवेशन एण्ड डिवैल्पमैंट' आफ एनीमल हम्बैडरी एण्ड डेयरी डिवैल्पमैंट सैक्टर) अमैंडमैंट बिल, 2005	(3) 75
दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज मैम्बर्ज) अमैडमैट बिल 2005	(3) 76

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 19 दिसम्बर, 2005

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1 चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार एच०एस० चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Chief Minister will make obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा): अध्यक्ष महोदय, हमारे एक साथी श्री पी०एम० सईद बहुत ही वरिष्ठ नेता थे उनकी सिओल मे हृदय गति रूकने से मृत्यु हो गई मैं उनके लिए शोक प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं। यह सदन केन्द्रीय मंत्री श्री पी०एम० सईद के 18 दिसम्बर 2005 को हुए अचानक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हे। उनका जन्म 10 मई 1941 को हुआ। वे असाधरण प्रतिभा के धनी थे। उन्होने गवर्नमैंट ऑफ आर्टस बंगलौर से बी० काम की और सिद्धार्थ ली कालेज मुम्बई से एल०एल०बी० की डिग्री प्राप्त की। वे सन 1967 से 1999 तक लगातार 10 बार लक्षद्वीप से लोकसभा के सांसद बने तथा चौथी लोकसभा में सबसे कम आयु के सांसद भी बने। वे 1960 तथा 1993–94 मे केन्द्र में राज्य मंत्री रहे। एक सांसद के रूप में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें 12वीं और 13वीं लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2004 मे वे जब लोकसभा के लिए चुने गये तो उन्हें राज्यमंत्री बनाया गया और उनके निधन के समय तक वे इस पद पर बने रहे। श्री सईद सता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों का समान रूप से आदर करते थे। वे कई माननीय संसदीय समितियों के सदस्य

रहे और कई सलाहकार समितियो से जुड़े रहे। उन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की। उन्होने विदेशों में कई भारतीय शिष्टमण्डलो का प्रतिनिधित्व किया। उनकी बुद्धिमता और दूरदर्शिता के लिए उन्हें सदैव याद रखा जायेगा। उनके निधन से देश एक अनुभवी योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। निश्चित तौर पर वे मेरे साथ तीन बार लोकसभा के सांसद रहे। वे व्यक्तिगत रूप से मेरे मित्र थे। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक सवेदना प्रकट करता है। दूसरे कल चेन्नई मे भगदड़' से हुए हादसे मे जो 44 लोगों की मृत्यु हुई है। यह सदन 18 दिसम्बर 2005 को तमिलनाडु के चेन्नई मे बाढ़ राहत केन्द्र मे हुई भगदड मे मरने वाले मासूमो के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के परिवारो के प्रति शोक प्रकट करता है तथा अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

डा० सुशील इन्दौरा (ऐलनाबाद, एस०सी०): माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इरा सदन मे शोक प्रस्ताव पेश किया है मैं भी उसका अनुमोदन करता हूं तथा सभी दिवंगत के परिवारों के प्रति अपनी तरफ से अपने साथियो की तरफ से और अपनी पार्टी के नेता चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। यूनियन मिनिस्टर श्री पी०एम० सईद का हृदय गति रूक जाने से आकस्मिक निधन हुआ जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और बहुत अच्छे प्रशासक और अच्छे राजनीतिज्ञ थे जो लम्बे समय तक लोकसभा के सदस्य रहते हुए उन्होंने एक सांसद के तौर पर देश की सेवा की। मैं व्यक्तिगत तौर पर उन्हें जानता हूं। मैं जब लोकसभा का सांसद था उस वक्त वे लोकसभा के डिप्टी स्पीकर थे और उनका व्यवहार सभी माननीय सदस्यों के साथ एक जैसा होता था और वे

भेदभाव से परे थे। मैं गुरूदूवारा रकाबगंज रोड पर रहता था और वे भी उसी जगह रहते थे इसलिए मुझे उनसे मिलने का कई बार सौभाग्य मिला। मैं कई बार उनके पास चला जाता था क्योंकि अनुभवी सांसद होने के नाते मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। हालांकि वे कांग्रेस पाटी के सांसद थे लेकिन वे इतने अच्छे आदमी थे कि उनके अनुभव का हमें बहुत लाभ मिलता था। इसलिए उनके अनुभव से हमने बहुत कुछ सीखा और उन्होने हमें सिखाया कि किस तरह से बिना भेदभाव के सदन की सेवा करनी है। उनके निधन पर उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और अपने पाटी के नेता की तरफ से गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। इसी प्रकार कल जो चेन्नई में हादसा हुआ जिसमे लोग बाढ़ राहत सामग्री के कूपन लेने के लिए लाईन मे लगे हुए थे और अचानक ऐसा हुआ कि भीड़ में भगदड़ मची जिसके कारण 44 आदमियो की मृत्यु हो गई। उनके निधन पर उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति में अपनी तरफ से, अपने साथियो की तरफ से और अपनी पाटी के नेता की तरफ से गहरी संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री रामकुमार गोतम (नारनौद): अध्यक्ष महोदय, मैं पी०एम० सईद जी के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। सईद जी बहुत बड़ी शखसियत के इन्सान थे और बहुत बड़े पार्लियामैटेरियन थे। मैं अपनी तरफ से और अपनी पाटी की तरफ से और अपने चाहने वालो की तरफ से उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। चेन्नई मे जो हादसा हुआ है यह बहुत ही दर्दनाक हादसा है, मैं समझता हू कि सारे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ऐसे हादसे से सबक सीखना चाहिए ताकि ऐसा हादसा दोबारा कहीं न घटे इसके लिए पूरे ऐहतियात बरतने चाहिएं। मैं

अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और अपने चाहने वालों की तरफ से इस हादसे पर शोक प्रकट करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I associate myself with the feelings of sorrow at the sad demise of Shri P.M. Sayeed who was a Union Minister. Shri. P.M. Sayeed has been elected to the Lok Sabha from Lakshadweep ten times. He was first inducted in the Government in 1979-80 thereafter he served Union Government in various capacity. He also remained Deputy Speaker of the Lok Sabha from 1999 to 2004. He was able administrator. His wisdom would be remembered by the countrymen for long. At Chennai in the tragic incident 44 persons have been killed in a stampede at the food relief camp, I also associate myself with my sympathy with their bereaved families. Hon'ble Members, I will convey deep sympathy of this House to the bereaved families. Now, I would request you to stand and observe silence for two minutes as a mark of respect to the memory of the departed souls.

(At this stage the House stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of the deceased.)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब सवाल–जवाब होगे।

Construction of the roads of Sonepat District

***127. Sh. Dharmpal Singh Malik:** Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) whether it is a fact that the sanction for the construction of the following roads of district Sonepat have been accorded:

1. Lath to Guhna via Bhainswal Kalan ;
2. Kailana Khas (Gohana) to Khanpur Kalan;
3. Moi Hooda to Kahni;
4. Rukhi to Moi Hooda;

5. Nayat to Gamri;
6. Kakana Bahaduri to Saragthal;
7. Khanpur Kalan to Mundlana;
8. Bidhal to Jauli;
9. Bidhal to Lath;
10. Jauli to Saragthal;
11. Dodwa to Bohla;
12. Dodwa to Jauli;
13. Rolad Latifpur to Chatia Deva;
14. Jasrana to Gorar;
15. Giwana to Rurki;
16. Bilbilan to Jasrana;
17. Kasanda to Kakana Bahaduri;
18. Kasandi to Khanpur Kalan Purchase Centre;
19. Kasandi to Bazana;
20. Saragthal to Dubeta; and
21. Moi Hooda to Rithal;

(b) if so, the time by which these roads are likely to be constructed/ completed ?

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala):

(a) No, Sir.

(b) The question does not arise.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से सप्लीमैंटरी पूछना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक ऐसे मामले की तरफ दिलाना चाहता हूं कि परिवहन मंत्री का नाम वोल्कर रिपोर्ट मे उजागर हुआ है। (शोर)

Mr. Speaker: Listen Mr. Indora ji' let the question hour be over. I know you are to say something but this is not the time.

(Interruptions).

डा० सुशील इन्दौराः स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनें। (शोर)

Mr. Speaker: I am very sorry to say, Mr. Indora ji listen to me. (Interruptions) Indora ji, would you please listen to me.

डा० सुशील इन्दौराः स्पीकर साहब, ...

Mr. Speaker: Nothing to be recorded. Please listen. (Interruptions). Mr. Indora ji, this is not the time. Please let the question hour be over. If you want to walk-out now, you can. Let the questicn hour be over.

डा० सुशील इन्दौराः स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनें। (शोर)

Mr. Speaker: No, no this is not the way, Mr. Indora. I will not approve it. (Interruptions),

डा० सुशील इन्दौराः स्पीकर साहब ..... (शोर)

Mr. Speaker: No more, Mr. Indora ji. Please don't do like this, Mr. Indora ji. This is not the way. This is absolutely wrong. Nothing to be recorded.

डा० सुशील इन्दौराः स्पीकर साहब ..... (शोर)

Mr. Speaker: Mr. Indora ji, this is not the way. Let them say whatever they want. Nothing to be recorded. (Interruptions).

डा० सीता रामः स्पीकर साहब, ... (शोर)

Mr. Speaker: Sita Ram Ji, **I** say this is not the way, please take your seat.

श्रीमती रेखा राणाः स्पीकर साहब ..... (शोर)

श्री अध्यक्षः बहन जी, तुसी क्यो इन्हां दे आखे लगदे हो, तुसी गल सुनो (शोर एवं व्यवधान) Nothing to be recorded without my permission. (Interruptions).

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : स्पीकर साहब, ... (शोर)

Mr. Speaker: Balwant Singh ji, this is not the way. Nothing to be recorded without my permission. (Interruptions).

डा० सुशील इन्दौराः स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनें (शोर)

Mr. Speaker: Indora ji, we think that you are a senior-most member but from the appearance it looks that new members are behaving better than you. Mr. Indora ji, this is not the way. Your Master will appreciate your feelings today what you are expressing in the House.

डॉ० सुशील इन्दौराः स्पीकर साहब, ... (शोर)

Mr. Speaker: Mr. Indora, would you please allow me to say. (Interruptions)

डॉ० सुशील इन्दौराः स्पीकर साहब, ... (शोर एवं व्यवधान)

डा० सीतारामः स्पीकर सर, ... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Let the Question Hour be over. Please sit down. (Interruptions).

(इस समय इण्डियन नैशनल लोकदल के सभी सदस्य सदन में नारेबाजी करने लगे (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Dharampal Ji, you put the supplementary. (Interruptions).

चौ० धर्मपाल सिंह मलिकः स्पीकर सर, ... (शोर एव व्यवधान)

डा० सुशील इंदौराः स्पीकर सर, हम दागी मंत्री से जवाब नहीं सुनेगे। दागी मंत्री को मत्री मण्डल से बरखास्त किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: This is not the way. I will not allow it. (Interruptions). Let the Question Hour be over.

डा० सुशील इंदौराः स्पीकर सर, जगत सिंह जी ने कहा है कि उस समय के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उनको इराक जाने के लिए अनुमति दी थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मेरी आप सभी से विनती है कि आप पहले प्रश्नकाल होने दें उसके बाद आप अपनी बात कह लेना। आप सभी कृपा करके अपनी सीटो पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) Mr. Dharampal Malik, please proceed.

डा० सुशील इंदौराः स्पीकर सर, हम दागी मंत्री से जवाब नहीं सुनेंगे। दागी मंत्री को मंत्री मण्डल से बरखास्त किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह सुढौराः अध्यक्ष महोदय, हम दागी मंत्री की बात नहीं सुनेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती रेखा राणा. अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: No one is Daagi. (Interruptions) This is not the way. बहन जी, आपको तो ये उकसाते हैं और ऐसे ही साथ ले लेते हैं। आप प्लीज बैठे। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इंदौराः स्पीकर सर, ... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Behave like legislator. (Interruptions) Mr. Indora, this is not the way.

(इस समय इण्डियन नैशनल लोकदल पार्टी के सदन मे उपस्थित सभी सदस्य सदन की वैल में आ गए।)

Mr. Speaker: Go to your seats. (Interruptions). Please stop it. This is not the way. Go to your seats.

डा० सुशील इंदौराः स्पीकर सर, करोड़ो रुपये का घपला हुआ है। दागी मंत्री को बरखास्त किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I say take your seat. आपका प्रोटैस्ट हो चुका है। प्लीज अब आप सभी बैठे। (शोर एवं व्यवधान)।

डा० सीता रामः स्पीकर सर, दागी मंत्री को बरखास्त किया जाये। (शोर एव व्यवधान)

Mr. Speaker: Mr. Indora, let him proceed. (Interruptions) Would you please allow to proceed ? (Interruptions) Listen Mr. Indora, Hon'ble Chief Minister wants to say something.

मुख्य मन्त्री (चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा): अध्यक्ष महोदय, इन लोगो का व्यवहार अप दू दि मार्क नही है और खिसियानी बिल्ली खम्भा नीचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। (विध्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा साहब मेरे साथ सांसद रहे हैं इनको विधान सभा के कायदे कानून का भी ज्ञान होना चाहिए। (विघ्न एव शोर) ये लोग एक फोटोस्टैट कॉपी लेकर घूम रहे हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं है (विघन एवं शोर)

डा० सुशील इन्दौराः स्पीकर साहब, हमारे पास उस लैटर की कापी है। (शोर)

Mr. Speaker: Indora Sahib, please take your seat. This is not the way. (Interruptions and noise) No, Indora Sahib, please take your seat. This is not the way. (Interruptions and noises) Now, the House is adjourned till 2.30 P.M. today.

(The Sabha then adjourned at 2.20 P.M. and re-assembled at 2.30 P.M.)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Now the Question Hour is again resumed and Shri Dharam Pal Singh Malik to put his supplementary (Interruptions).

श्री धर्मपाल सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ..... (शोर)

बैठक का स्थगन

डा० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: No, it will not be the part of the proceedings (Interruptions) Firstly, it has not been proved. (Interruptions) Listen, it has not been proved. Secondly, the inquiry is before the former Chief Justice of Hon'ble Supreme Court of India. (Interruptions) I know fully well what you want. (Interruptions & noise) But as Speaker, I do not want कि वो पोजीशन आए। इन्दौरा जी, मैने आपको यह लैटर सदन के पटल पर रखने की इजाजत नहीं दी है। आप जो चाहते हो वह पोजीशन मैं नहीं आने देना चाहता हूं। आप कृपया सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठें।

डा० सुशील इन्दौराः स्पीकर सर, यह एक बहुत ही अहम् मसला है। जिस मामले में भी नटवर सिंह और उनके बेटे श्री जगत सिंह रमा नाम

आगा है राह भी वही मामला है इसलिए हम चाहते हैं कि श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी इस्तीफा देना चाहिए। अगर वह इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I request you to let the House proceed. This is not the way in which you are behaving. (Interruptions) No, no this is not the way, Mr. Indora. (interruptions) इन्दौरा जी, यह मसला ऐसे हल नहीं होगा। आप कृपया अपनी अपनी सीटों पर बैठे। (शोर एवं व्यवधान) I will not allow any such proceedings to continue. (interruptions) No, your question is not at all relevant. Absolutely not relevant. The matter is being considered. His signatures are not proved. (interruptions) No, it is not a part of the proceedings. (Interruptions)

(इस समय इडियन नेशनल लोकदल के सभी उपस्थित माननीय सदस्यगण सदन की वैल में आ गएऔर जोर जोर सेनारेबाजी करने लगे।)

डा० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्षः मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मुद्दे पर कुछ न बोले क्योकि यह मुद्दा यहां पर डिसकस करने का नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इन्दौराः स्पीकर साहब, यह एक अहम् मसला है इससे पूरे देश की बदनामी हुई है।

श्री अध्यक्षः इन्दौरा जी, आप जैसी पाटी भी यह बात बोले यह बात समझ नहीं आती। आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए मैंने कई बार आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जाईये और आप

मत बोलिए लेकिन आप मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं इसलिए हाउस को तीन बजे तक के लिए एडजर्न किया जाता है।

(The Sabha then adjourned and reassembled at 3.00 P.M.)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Now the Question Hour is again resumed and Shri Dharam Pal Singh Malik to put his supplementary (Interruptions).

चौ० धर्मपाल सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ..... (शोर)

डा० सुशील इन्दौराः स्पीकर सर, ...

Mr. Speaker: Nothing to be recorded without my permission.

डा० सुशील इन्दौराः स्पीकर सर .....

चौ० धर्मपाल सिंह मलिकः स्पीकर सर, जो यह लैटर दिखा रहे हैं उस लैटर के अन्दर कुछ नहीं है this letter does not mean anything.

श्री अध्यक्षः इन्दौरा साहब, आप मर्यादा मत गवाईये। आप सभी मैम्बर्ज अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जाएं इस तरह से हाउस की मर्यादा क्यो गंवा रहे हो। आपने यह मन बना लिया है कि हमें हाउस नहीं चलने देना। I will not allow it. (Interruptions) This is not the way. (Interruptions) Nothing is to be recorded without my permission.

डा० सुशील इन्दौराः स्पीकर सर, ...

Mr. Speaker: Please take your seats otherwise I will have to name all of you (Interruptions).

डा० सीता रामः स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनें। (विघ्न)

चौ० धर्मपाल सिंह मलिकः सर, इस लैटर के मायने कुछ नहीं हैं। It does not have anything. It is a general letter.

श्री अध्यक्षः इन्दौरा साहब मैंने आप सभी सदस्यों से विनती की है कि आप अपनी–अपनी सीटों पर बैठिये आप क्यों तकलीफ करते हो। आप बैठ जाओ। बहन रेखा जी आप छोटी बहन है इसलिए छोटी बहन को कहना मेरा हक बनता है कि इनकी बातों में मत आना अपनी सीट पर बैठ जाओ। (शोर एंव विघन)

सदस्यों का नाम लेना

डा० सुशील इन्दौराः स्पीकर साहब, हमारे पास सबूत है। मैं आपकी इजाजत से इस लैटर की कापी सदन की मेज पर रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः नहीं,नहीं मैं इसकी इजाजत नहीं देता। (विघ्न एवं शोर)

डा० सुशील इन्दौराः स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनें (विध्न)

Mr. Speaker: Mr. Indora, please take your seat otherwise I will have to name all of you.

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के सभी उपस्थित माननीय सदस्यगण सदन की वैलमें खडे होकर नारेबाजी करने लगे।)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, the House was adjourned by me twice. Despite my best efforts, the Hon'ble Members of Indian National Lok Dal have not allowed to proceed with the Question Hour. The discussion on the subject matter which they are raising in the House would cause prejudice to the course of justice as the matter is already under examination by a body headed by former Chief Justice of India. Under such circumstances, I cannot allow discussion on the subject. The behaviour of Sarvshri Sushil Kumar Indora, Balwant Singh Sadhaura, Sita Ram, Gian Chand, Ram Phal Chirana, Ishwar Singh Palaka, Sahida Khan and Smt. Rekha Rana has been grossly, disorderly and

irresponsible. Therefore, I name the above-said all the Members for their grossly, disorderly behaviour in the House. They may please leave the House (Interruptions).

(At this stage all the Members of Indian National Lok Dal present in the House continued to obstruct the proceedings of the House. The Speaker asked them to withdraw from the House but they did not withdraw from the House.)

सदस्यों का निलम्बन

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, इनका बिहेवियर ठीक नहीं है इसलिए इनको हाऊस से सस्पैंड किया जाए।

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): Sir, I beg to move—

That Sarvshri Sushil Kumar Indora, Balwant Singh Sadhaura, Sita Ram, Gian Chand, Ram Phal Chirana, Ishwar Singh Plaka, Sahida Khan and Smt. Rekha Rana, MLAs be suspended from. the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the Member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the day's sitting of the present Session.

Mr. Speaker: Motion moved—

That Sarvshri Sushil Kumar Indora, Balwant Singh Sadhadra, Sita Ram, Gian Chand, Ram Phal Chirana, Ishwar Singh Plaka, Sahida Khan and Smt. Rekha Rana, MLAs be suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the Member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the day's sitting of the present Session.

Mr. Speaker: Question is—

That Sarvshri Sushil Kumar Indora, Balwant Singh

Sadhaura, Sita Ram, Gian Chand, Ram Phal Chirana, Ishwar Singh Plaka, Sahida Khan and Smt. Rekha Rana, MLAs be suspended from the service of this House for their mis-conduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the Member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the day's sitting of the present Session.

The motion was carried.

(At this stage all the Members of Indian National Lok Dal present in the House continued to obstruct the proceedings of the House. The Hon'ble Speaker, asked all the suspended members leave the House but they did not withdraw from the House.)

Mr. Speaker: Listen, Hon'ble Members, it is better for you to go out from the House because the motion has been passed by the Assembly. (Interruptions & noise). It is better to go out from the House. (Interruptions & noise). I do not want to use other force. (Interruptions). Please do not do like this. This is not the way. (Interruptions & noise). This is not the way. (Interruptions & noise). Marshal, please remove them out of the House. This is not the way. I will not allow it in the House. (Interruptions & noise). Now, please go. Please, go now. (Interruptions & noise). Please go, please go. Behan ji, please go. Nobody will touch her. Please go.

(At this stage Dr. Sushil Kumar Indora, a member of the Indian National Lok Dal and other members of his party were escorted out of the House by the Sergeantat-Arms)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Shri Dharam Pal Singh Malik ji, please now put the supplementary again.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत एक्सट्रा ओर्डिनरी ढंग से बना था, जबकि जवाब इसके अनुपात मे बहुत

छोटा सा दिया गया है। मुझे उम्मीद थी कि कहीं तो किसी गांव की सड़क को मंजूरी मिलेगी लेकिन कोरा जवाब मिला है। अध्यक्ष महोदय, स्टेट के अन्दर बाई पास निकालने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। गोहाना की स्थिति ऐसी है जोकि स्टेट के बिलकुल सैंटर में है। कोई उत्तरी हरियाणा की बात करता है कोई दक्षिणी हरियाणा की बात करता है सबको गोहाना से ही निकलकर जाना पड़ता है। वहां बहुत कंजस्चन है और बहुत बुरा हाल है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या गोहाना में बाई पास मंजूर करने के लिए कोई प्रपोजल मास्टर प्लान के अंदर है या नहीं?

परिवहन मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि यह एक पृथक प्रश्न है, माननीय सदस्य लिखकर भेज दें, उनको अवश्य जवाब दे दिया जाएगा। जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब था अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और पूरे हाउस को बताना चाहता हूं कि ये सारे गांवो के नाम जो कि माननीय सदस्य ने दिए हैं ये एक या एक से ज्यादा सड़कों रमे अभी भी जुड़े हुए हैं फिर भी माननीय सदस्य ने जो नाम बताए हैं इनमे से सीरियल नं० 4, 6,8,9,10 और 19 नम्बर, पर जिन गांवो की सड्कों की बात है, उनके एस्टीमेट्स अलग से माकीटिंग बोर्ड में भेजे गए हैं जो इस समय माकीटिंग बोर्ड के पास विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष: अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Upgradation of Sub-stations

***132. Shri Naresh Yadav:** Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the following sub-stations in Ateli Constituency:

(i) Village Lahroda;

(ii) Kadipuri ; and

(iii) Dhani Bhatoto; and

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to set up additional transformers in Ateli Mandi ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा):

(क) (1) गांव लहरोदा में 11 के०वी० लिफ्ट पम्प हाऊस (एन०बी०–6 केन्द्र) को 2x5 एम०बी०ए० क्षमता के साथ 33 के०वी० स्तर तक अपग्रेड करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

(2) नहीं, श्रीमान।

(3) 33 के०वी० उपकेन्द्र ढाणी भटोटा को 132 के०वी० स्तर तक अपग्रेड करने या इसके समीपवती क्षेत्र में एक नया उपकेन्द्र बनाने के प्रस्ताव का तकनीकी रूप से मूल्यांकन किया जा रहा हे।

(ख) एक अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर प्रदान करके 132 के०वी० उपकेन्द्र अटेली मण्डी की क्षमता मे वृद्धि करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

Quantum of Electricity Produced

***141. Dr. Sita Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state the quantum of electricity produced in the months of June, July, August during the year 2004 and 2005, separately ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): श्रीमान विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

वर्ष 2004 एवं 2005 के दौरान जून, जुलाई तथा अगस्त के महीनों में उत्पादित बिजली की मात्रा के संबंध में विवरण निम्न प्रकार से है –

मास	वर्ष 2004 में उत्पादित बिजली की मात्रा (लाख यूनिटों मे)	वर्ष 2005 में उत्पादित बिजली की मात्रा (लाख यूनिटो में)
जून	4623	7406
जुलाई	6300	7695
अगस्त	5140	7642

Sale of Irrigation Rest Houses/Lands

***158. Shri Tejender Pal Singh Mann:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether the State Government has instituted any enquiry in regard to the sale of Irrigation Rest Houses and Land of Irrigation Department in the State during the regime of previous Government; and

(b) if so, whether some officers have been questioned in this regard ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव):

(क) जी हां, श्रीमान् जी। राज्य सरकार ने यह अनुभव किया है कि कुछ मामलो में सिंचाई विभाग की भूमि अधिकतर केवल आरक्षित मूल्य पर ही नीलाम की गई हे जबकि ऐसी भूमि को नीलाम नहीं करना चाहिए

था। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस मामले की जांच सिंचाई विभाग के सतर्कता विंग से करवाई जाए।

(ख) यह विषय जांच अधीन है।

Construction of Building of Government Hospital, Narnaul

***137. Shri Radhey Shyam Sharma:** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the building of Government Hospital, Narnaul City is in dilapidated condition; if so, the time by which the new building for the said hospital is likely to be constructed;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct 50 beds Hospital at Nangal Chaudhary;

(c) the total number of sanctioned posts of doctors in the Government Hospitals in Namaul area; and

(d) the number of doctors are working presently in the aforesaid Hospitals against the sanctioned posts referred to in part (c) above; togetherwith the time by which the vacant posts of doctors are likely to be filled up ?

स्वास्थ्य मन्त्री (बहन करतार देवी):

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

(ग) 97

(घ) 66 रिक्त पद शीघ्र भर दिये जायेंगे।

Completion of the Roads

***178. Shri Ram Kumar Gautam:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the time by which the construction work of Budana to 'Moth and Datta the Buyana Khera roads in Narnaund Constituency is likely to be started which are lying incomplete;

(b) whether the Government is aware of the fact that the road from Bass to Puthi in Narnaund Constituency mostly remains closed due to stagnation/flowing of water on this road; and

(c) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to raise the level of the said road ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) (1) बुडाना से मोठ सड़क का कार्य जनवरी, 2006 तक शुरू किया जाएगा।

(2) डाटा से बयाना खेड़ा के लिए समय नहीं दिया जा सकता चूंकि सड़क का निर्माण सुलभ कोष की उपलब्धता पर निर्भर है।

(ख) नहीं श्रीमान् जी। केवल 6 किलोमीटर में से एक किलोमीटर लम्बाई बांस गांव से नजदीक भारी बरसात के दौरान प्रभावित होती है।

(ग) हां, श्रीमान जी।

Providing of Drinking Water

***207. Shri Bachan Singh Arya:**Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that underground water of Old Grain Market, Pillu Khera and populous area of Mandi is bitter and unfit for drinking; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide drinking water to the aforesaid area during the current financial year ?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला):

(क) जी हां श्रीमान्, पिल्लुखेडा मण्डी में

(ख) जी हां श्रीमान्। उपरोक्त क्षेत्र मे शुद्ध पेयजल प्रदान करने के लिए गांव बुडैन और अमराली खेड़ा के नजदीक दो टयूबवैल लगाए गए हैं। यह टयूबवैल शीघ्र ही चालू हो जाएंगे।

Replacement of Obsolete Electricity Wire

***186. Shri Sukhbir Singh Sohana:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to remove the obsolete electricity wire with new wire in district Gurgaon; if so, the detail thereof'?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): हां श्रीमान्, पुरानी तथा जीर्ण– शीर्ण बिजली की तारों को आवश्यकतानुसार नियमित रूप से उतार कर इन्हें नई तारों के साथ बदला जा रहा है।

Pump Houses of Loharu Canal

***221. Shri Somvir Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Irrigation Department has got its own separate line for the pump houses of Loharu Canal but the tubewell connections have been released to the general farmers from these lines due to which the pump houses rendered unfunctional again and again on account of overload;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to disconnect other connections from the separate lines of the Irrigation Department; if so, the time by which these connections are likely to be disconnected;

(c) the time by which the 33 KV Power House of Berla will be constructed for canal; and

(d) whether there is any proposal under consideration of the Government to replace or repair the transformers or other equipments of less capacity installed on the pump houses togetherwith

the time by which these are likely to be replaced or repaired ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) हां श्रीमान सिंचाई विभाग के पास लोहारू नहर के पम्प घरों की बिजली आपूर्ति के लिए 33 के०वी० उपकेन्द्र बेरला से निकलने वाला स्वतन्त्र फीडर (लाइन) है। आपातकाल में इस लाइन से तीन पब्लिक वाटर वर्क्स कनैक्शन, एक आई०टी०आई० कनैक्शन तथा किसानों के कुछ नलकूप कनैक्शन भी दिए गये थे।

(ख) हां श्रीमान इन कनैक्शनों को अन्य ग्रामीण फीडरो पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव है तथा यह शिफ्टिंग का कार्य दो महीने के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा।

(ग) बेरला में पहले ही एक 33 के०वी० उपकेन्द्र है। बेरला में एक अतिरिक्त 5 एम०वी०ए० विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित किया है तथा 30– 11 –2005 को 33 के०वी० उपकेन्द्र बेरला मे लोहारू नहर पम्प घरो के लिए अनन्य रूप से चालू किया गया है।

(घ) लोहारू पम्प घर पर कम क्षमता ट्रासफार्मरो तथा पुराने विद्युत उपकरणों को बदलने के लिए एक प्रस्ताव है तथा इन्हें 6 महीने के अन्दर बदल दिया जाएगा।

Advalorem Court fee

***268. Shri Karan Singh Dalal:** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether the Court fee at the Advalorem rate leviable on institution of Civil suits in Haryana State is much higher in comparison to Punjab, Chandigarh, Himachal Pradesh and Delhi; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to bring the aforesaid court fee in

Haryana at par with Chandigarh and Punjab ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

Construction of Toilets for Women

***228. Smt. Geeta Bhukal & Shri S.S. Surjewala:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct toilets especially for the women belonging to Scheduled Castes and Economically Weaker Section in the rural areas in the State ; if so, the amount earmarked in the budget for the current financial year?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): जी हां, श्रीमान् जी। सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य में व्यक्तिगत शौचालय एवं महिला सामुदायिक शौचालय परिसर गरीबी रेखा से नीचे के स्तर से संबंधित महिलाओं के लिए बनवाए जा रहे हे जिनमें अनुसूचित जातियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबधित महिलाएं भी शामिल है। इस चालू वित्तीय वर्ष में बजट मे सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए 1036 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई है।

Construction of a Sports Stadium at Samalkha

***296. Shri Bharat Singh Chhokar:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a sports stadium in Samalkha; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): नहीं, श्रीमान जी।

Regularisation of Unauthorized Colonies

***234. Shri Shadi Lal Batra & Kumari Sharda Rathore:**

Will the Minister for Urban Development be pleased to state—

(a) the steps Government is taking to control the

mushroom growth of colonies in illegal manner around the cities in the State in violation to the law enforced at present; and

(b) whether the State Government has made any plan to regularize the unauthorized colonies in existence for the last more than ten years and basic amenities have been provided to the inhabitants of these colonies ?

उद्योग मंत्री (श्री लक्ष्मण दास अरोडा):

(क) सरकार ने राज्य मे शहरो के चारों ओर अवैध रूप से पनप रही कालोनियों को रोकने के लिये हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 बनाया है। यह अधिनियम, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा लागू व क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) राज्य सरकार ने दिनांक 11 – 12 –2004 को सभी अनाधिकृत कालोनियां, जो दिनांक 30– 11 – 2004 को 50 फीसदी या अधिक निर्मित प्लाटों एवं वाहनो विशेषकर अग्निशमन वाहनों के आवागमन के लिये पर्याप्त चौड़ी सड़कों का मापदण्ड पूरा करती हों, को नियमित करने का निर्णय लिया। इस नीति अनुसार सरकार उपायुक्तों से प्राप्त प्रस्तावना के आधार पर इन अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने पर विचार करेगी। सभी नियमित कालोनियो में पालिकाओं को मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान करना होगा। चूँकि दिसम्बर, 2004 में काफी संख्या मे अनाधिकृत कालोनियां नियमित की गई थी, इन कालोनियों में चरणबद्ध तरीके से मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिये पालिकाएं प्रयास कर रही हैं।

Construction of Water Works at Village Chidar

***291. Shri Kulvir Singh:** Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of

the Government to construct a water works at village Chidar in district Fatehabad; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented ?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला):

(क) जी हां श्रीमान्।

(ख) नहरी पानी पर आधारित 10350 लाख रुपये की एक योजना अनुमोदित की जा चुकी है और यदि जलघर के लिए जमीन उपलव्य करवा दी जाती है तो यह योजना 31 –3–2007 तक चालू होने की सभावना है।

Irregularity in the nomination to the HCS Posts

***255. Smt. Kiran Chaudhary:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there have been irregularities/illegalities in nomination from amongst Class-III employees of Haryana Govenment to HCS posts during the last regime of previous Government; if so, the action taken in this respect ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): पूर्व सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में से एच०सी०एस० पदों के लिए की गई भती के संबंध में कुछ अनियमितताओ/अवैधताओ के आरोप सरकार के ध्यान मे आए हैं तथा मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

वर्ष 1999 व 2004 मे की गई नियुकियो को सिविल रिट पैटीशनज के माध्यम से चुनौती दी गई है।

Promoting of Girl's Education

***307. Kumari Sharda Rathore:** Will the Minister for Education be pleased to state the steps taken so far or proposed to be taken by the Haryana Govenment for promoting the Higher Education of

girls togetherwith the number of new colleges for girls opened by the present Government so far ?

शिश्रा मन्त्री (श्री फूलचन्द मुलाना): हरियाणा सरकार ने लडकियों की उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं: –

1. राजकीय तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में छात्राओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

2. राज्य में 45 महाविद्यालय केवल लड़कियों के लिए हैं।

3 छात्रों में लिंग– भेद संवेदनशीलता तथा महिला अधिकारिता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय मे महिला प्रकोष्ठ है।

4 विभाग द्वारा महिला अधिकारिता पर सेमिनारों/ कान्फ्रेसो का आयोजन किया जाता है तथा इन सेमिनारो 7 कान्फ्रेंसो के आयोजन में गैर सरकारी संगठनों को सम्मिलित किया जाता है।

5. 10+ 2 परीक्षा मे 60 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओ के लिए छात्रवृत्ति स्कीम है। छात्रवृत्ति की दर 3000 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष है। इस वर्ष के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत 18 लाख रुपये का बजट उपलब्ध हे। वर्तमान सरकार द्वारा जीन्द मे राजकीय महिला महाविद्यालय खोला गया हे। कनीना (महेन्द्रगढ़) तथा गन्नौर (सोनीपत) मे निजी कन्या महाविद्यालय खोलने के लिए दो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं।

Providing of Compensation to the Farmers

***276. Shri Ram Kishan Fauji:** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the crops of Bajra, Cotton and Guar of the fanners of Loharu and Siwani have been damaged due to non-supply of canal water in time; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide financial assistance to the aforesaid farmers ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव):

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

Opening of Government College at Kaithal

***249. Shri S.S. Surjewala:** Will the Minister for Education be pleased to state -

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College at Kaithal, with professional/vocational of both science and non-science subjects ; and

(b) whether the Gram Panchayat of Jagdish Pura (Kaithal) has offered to donate 12 acres of shamlat land for opening of the said college ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना):

(क) जी, नहीं।

(ख) हां श्रीमान् जी।

Improvement in Supply of Drinking Water

***301. Prof. Chhatar Pal Singh:** Will the Minister for Public Health be pleased to state whether State Government has formulated any scheme to improve the supply of drinking water in the State ?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): जी हां श्रीमान। राज्य में विभिन्न कार्यक्रमो के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति मे सुधार का प्रस्ताव

है। चालू वित्त वर्ष 2005–06 के दौरान 640 गांवो और 28 शहरों में पेयजल आपूर्ति सुविधाओं में बढ़ौतरी का प्रस्ताव है।

Holding of Land Consolidation

***286. Shri Ranbir Singh Mahendra:** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for holdings of land consolidation of the villages Prem Nagar and Leghan in Bhiwani district, if so, the time by which the work for the holding of land consolidation of said villages are likely to be started ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): गांव प्रेमनगर तथा लेघां, जिला भिवानी में भूमि की चकबन्दी का कार्य पहले से ही शुरू किया हुआ है और इन दोनो गांवो मे कार्य दिसम्बर, 2006 के अन्त तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Generation Capacity of Power

10. Dr. Sushil Indora: Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total addition done in the generation capacity of power (electricity) in MW during the period from 24th July, 1999 to 31st July, 2005;

(b) the total generation capacity of power till 24th July, 1999; and

(c) the steps are being taken by the present Government to add new generation capacity of power ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) 24 जुलाई, 1999 से 31 जुलाई, 2006 तक की अवधि के दौरान बिजली की उत्पादन क्षमता में की गई कुल वृद्धि 724.4 मैगावाट है।

(ख) हरियाणा राज्य मे 24 जुलाई, 1999 तक अपने उत्पादन केन्द्रो (थर्मल एवं हाईडल) से उत्पादन क्षमता 863 मैगावाट थी।

(ग) वर्तमान सरकार राज्य मे यमुनानगर में 600 मैगावाट क्षमता का कोयला आधारित प्लांट लगा रही है तथा राज्य मे सरकारी/निजी क्षेत्र मे, लगभग 4000 मैगावाट क्षमता के गैस/कोयला आधारित प्लांट लगाने की योजना बना रही है। सरकार द्वारा 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल जैसे राज्यों के साथ संयुक्त रूप से पन बिजली परियोजनाएं स्थापित करने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

Providing of Employment Opportunity

13. Sh. Naresh Yadav: Will the Minister for Labour & Employment be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide more employment opportunity to the unemployed youth in the State; if so, the details thereof ?

वित्त मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): श्रीमान् जी, सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

सूचना

राज्य सरकार के विभित्र विभागों द्वारा और अधिक रोजगार अवसर प्रदान करने के विचाराधीन प्रस्तावों का विवरण निम्न प्रकार से हैं

राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति, 2006 तैयार करके लागू की जा चुकी है। इस नीति के अनुसार घरेलू तथा विदेशी निवेश के लिए अनुकुल वातावरण तैयार करना है। अतः इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, नियमों एवं विनियमों का सरलीकरण, संस्थागत प्रणाली का सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण एवं

पिछड़े क्षेत्रों मे उद्योग को प्रोत्साहन तथा रियायतें देने पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार नई औद्योगिक सम्पदाये, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक माडल टाउनशिप, थीम पार्क, फूड पार्क, अपेरल पार्क, तकनीकी पार्क, फुटवीयर एंड लैदर गारमेंट पार्क तथा कुण्डली मानेसर–पलवल एक्सप्रेस मार्ग के साथ लगते विशेष स्थानों पर पैट्रो कैमिकल हब तथा इकोनोमी हब विकसित कर रही है। इन कदमों से अगले 10 साल मे 10 लाख लोगों के लिए रोजगार अवसर पैदा होने का अनुमान है।

भारत सरकार द्वारा कुछ जिलों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना शूरू की गई है जिसमे हरियाणा राज्य का महेन्द्रगढ़ जिला शामिल है। यह योजना राज्य में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लाश' की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत हर उस परिवार जिसके व्यसन सदस्य गांव में अकुशल हाथ से काम करने के लिए इच्छुक हो, को एक वित्तीय वर्ष मे कम से कम 100 दिन के लिए निश्चित वैतनिक रोजगार उपलब्ध करवाया जाना है जिसका एक तिहाई भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इस योजना के अन्तर्गत नियुक्त किये गये व्यक्तियों को राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी तथा इसके लिए 90% फण्ड भारत सरकार तथा 100% फण्ड राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये जाएगे।

अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा विभिन्न अक्षय ऊर्जा उपकरणो की मुरम्मत तथा रख–रखाव के लिए 380 आई०टी०आई० पास बेरोजगारो को ट्रेनिंग देकर स्व–रोजगार पैदा करना प्रस्तावित है। मल्ल पालन विभाग द्वारा वर्ष 2005–06 में लागू की जा रही केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न मत्स्य पालन योजनाओं के अन्तर्गत 500 व्यक्तियों को क्व–रोजगार प्रदान कराने का प्रस्ताव है।

पशु पालन एवं डेरी विकास विभाग द्वारा लघु डेरी तथा 574 शुकर, भेड तथा शंकर बछडी पालन इकाईयां स्थापित करके स्व–रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करना प्रस्तावित है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 मे अनुसूचित जाति के 15,000 व्यक्तियों को स्व–रोजगार के लिए 4971 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना प्रस्तावित है।

हरियाणा पिछडी जाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा वर्ष 2005–06 के दौरान 5000 व्यक्तियों को स्व–रोजगार उपलब्द करवाना प्रस्तावित है।

हरियाणा डेरी विकास सहकारिता फैडरेशन लि० द्वारा सहकारी दुग्ध समितियो की संख्या 1000 करके, 500 स्व सहायता समूहो को डेरी सहकारी समितिसे में परिवर्तित करके, लाभार्थियो के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाकर, दुग्ध ठण्डा करने के लिए 200 विशाल मिल्क कुलरस लगाकर, मिल्क बूथ स्थापित करके तथा आईस्कीम सयंत्र स्थापित करके परोक्ष रूप से 2220 व्यक्तियो के लिए रोजगार तथा उर, (क्त व्यक्तियो को स्व–रोजगार उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है।

हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा 10,070 महिला लाभार्थियों को स्व– रोजगार गतिविधियो के लिए 237.50 लाख रुपये की अनुदान राशि तथा 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 376.20 लाख मार्जिन मनी की वित्तीय सहायता उपलव्य करवाना प्रस्तावित है।

ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड, हरियाणा द्वारा 4875 लाख रुपये की लागत के 54,16,666 कार्य दिवस उत्पन्न करना प्रस्तावित है।

Number of Houses/Plots Allotted to EWS

20. Sh. Naresh Yadav: Will the Minister for Revenue be pleased to state the total number of plots/houses allctted to the persons belonging to the Economically Weaker Section in the State during last ten years ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): श्रीमान जी, राज्य मे गत दस वर्षों अर्थात् 1996 –97 से 2005 –06 (30– 11 – 2005 तक) के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों को 1939 प्लाट और 667 मकान आबंटित किए गए हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया है regarding investigation of charges against former Chief Minister Shri Om Prakash Chautala, his sons, associates and other officials by Central Bureau of Investigation

श्री अध्यक्ष: वह गवर्नमैंट को कमैंट्स के लिए भेजा गया है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Dr. Sushil Kumar Indora and three other M.L.As. regarding shortage of supply of power in Haryana particulary in rural areas. He may read out his notice. He is not present in the House. Hence, the notice is not read out.

घोषणा

सचिव द्वारा–

Mr. Speaker: Now, the Secretary will make an announcement.

Secretary: Sir, I have to inform the House that the President has withheld his assent from the Haryana Casino (Licensing and Control) Bill, 2002 and the Public Gambling (Haryana Amendment) Bill, 2002,

which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its Session held in October, 2002.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move motion under Rule 15.

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): स्पीकर सर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदो पर की कार्यवाही को आज की बैठक मे अनिश्चिएत काल तक नियम ''सभा की बैठके'' के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule `Sittings of the Assembly', indefinitely.

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): स्पीकर रनर, आज जो विपक्ष के साथियों ने जिस तरह की भूमिका अदा की है खासतौर पर इण्डियन नैशनल लोकदल के साथियों ने, उसकी जितनी भर्त्सना की जाये उतनी थोड़ी है। सर, हमने यह चाहा था कि स्वस्थ परम्परायें जो पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी में हैं उनको यह। सदन में शुरू करें और उसी को शुरु करने का एक प्रयास आपने भी किया कि जो मुद्दा विपक्ष के साथियों ने यहां उठाया जिसको यहां उठाने का कोई औचित्य नहीं था उस पर आपने दो बार सदन को एडजोर्न किया। एक बार 10 मिनट के लिए और दूसरी बार 20 मिनट के लिए। स्पीकर सर, इसमें आपकी ओर सदन की मंशा यही थी कि सदन में स्वस्थ परम्परायें कायम हों। स्वस्थ परम्परा का मतलब यह है कि जब कोई मैंबर किसी बात को लेकर एजीटेट हो तो सदन एडजोर्न होने के बाद सोचने का मौका मिलता है कि वे सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन जिस

तरह से वे अपनी बात पर अड़े रहे उससे लगता है कि जब वे सत्तासीन थे जब उन्होने जो परम्परायें यहों कायम की थी वे गलत कायम की थी और अब भी वे उन्हें जारी रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप किसी सदस्य को सदन से नेम करें या हमारे मंत्री किसी माननीय सदस्य को सदन से बाहर निकालने की बात कहें। लेकिन इस किस्म के व्यवहार की, इस किस्म के प्रदर्शन की जो विपक्ष के साथियो ने किया उसकी जितनी भर्त्सना की जाये, खण्डन किया जाये, वह कम हे। स्पीकर सर, मै यह चाहता हू कि कम से कम ऐसे सदस्य जो पहली बार सदन मे चुनकर आए हे उनको तो यह सीखना चाहिए कि सदन की क्या परम्पराएं हैं। जैसे सदन कैसे चलता है, किस परिस्थिति में उनका बैठना अनिवार्य है और किस परिस्थिति में वे अपने अधिकारो की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह का व्यवहार यहां सदन मे विपक्ष के साथियो का रहा उससे यह लगता है कि उनकी पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं है। उनको इस बात का कोई इल्म नहीं है कि हरियाणा की 2.25 करोड़ जनता उनको देख रही है। जनता सदस्यों को यहां अपने हितों की रक्षा करने के लिए चुनकर भेजती है लेकिन विपक्ष के साथी अपनी संतुष्टि इस बात में मानते हे कि जब सदन मे इनका कोई योगदान न हो तो सिर्फ समाचार पत्रो में अपनी खबर प्रकाशित करवाने की कोशिश करते हैं और हरियाणा की जनता को समित करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस किस्म का व्यवहार आगे से सदन में नहीं होना चाहिए और हम सब मिलकर जो गलत परम्पराएं पहले डली है उनको खत्म करके स्वस्थ परम्पराएं शुरू करें। स्पीकर सर, स्वस्थ परम्परा यहां डले इसके लिए आपने पूरी कोशिश की हे इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हें।

शिक्षा मन्त्री (श्री फुल चन्द मुलाना): अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो हमारे साथी बोल रहे थे मैं समझता हूं कि उनकी इस प्रकार की प्रोसीडिंग की जरूरत नहीं थी और उन्होंने यहां पर जो व्यवहार किया है वह कण्डैमनेशन के काबिल है। उनकी पाटी के जो लोग बाहर बैठकर उनको चला रहे हैं और हाउस की कार्यवाही को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मैं कहता हूं कि उनकी भी ज्यादा कण्डैमनेशन करनी चाहिए। सरकार ने उनके खिलाफ जो कार्यवाही करने का ऐलान किया है उस कार्यवाही से बचने के लिए इस प्रकार से शोर शराबे की कार्यवाही कर रहे हैं कि सरकार ने उनके खिलाफ सी०बी०आई० की इन्क्रवायरी की घोषणा क्यों की गई है। बाहर बैठकर जो लोग यहां पर कार्यवाही करवाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी ज्यादा कण्डैमनेशन की जानी चाहिए। यहां पर जो कुछ हुआ है बेसिकली उसके लिए वे लोग जिम्मेदार हैं और उनके कण्डक्ट की कण्डैमनेशन की जानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान (पाई): स्पीकर सर, आज ओपोजीशन का जो कण्डक्ट था बेसिकली इस बात का था कि जो खबर अखबार में छपी है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इनकी करतूतों के बारे में सी०बी०आई० को जो जांच सौंपी है ये लोग इसे ओवरशेडो करना चाहते हैं। यहां पर शोर शराब। करके ये लोग हमारे सवाल भो खा गए और शोर शराबा करके हाउस से बाहर भी चले गए। अखबार में जो खबर छपी है उसके कारण इनको तकलीफ हो रही है और यह लोग चाहते थे कि शोर करके इस मामले को दबा दिया जाए। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह दरख्वास्त है और इनकी इस बात का जवाब भी यह है कि सी०बी०आई० को मामले की तह तक जाने के लिए किसी प्रकार से समय सीमा निर्धारित करके इस पर

फैसला लें तो दूध का दूध तथा पानी का पानी हो जाएगा। हुन लोगों ने पांच छः साल तक हरियाणा को निचोड़ा है। इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह भी कहूंगा कि बहुत से भ्रष्ट अधिकारी भी उनके साथ शामिल थे और उनकी मिली भगत के बिना तो कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती थी। किसी तरह से उन भ्रष्ट अधिकारियों को भी जांच के दायरे में लिया जाए जिन्होने बड़ी गलत और भयंकर तथा वायबरन्द करतूतें की थीं। अध्यक्ष महोदय, हमारी ब्यूरोक्रेसी को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने उस वक्त जो काम किए उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं उस वक्त की लाईसैसिंग अथोरिटी के घर से एक हजार से ज्यादा कारतूस बरामद हुए जब कि उनके पास बन्दूक का अपना लाईसैस भी नहीं था। अधिकारियों के घर से शराब मिली, इम्पोर्टिड व्हिसकी के 70— 70 जार मिले। ये लोग ऐसे अधिकारियो के माध्यम से लोगों पर दफा 302 के मुकद्दमें बनाया करते थे। ऐसे अधिकारियों के माध्यम से इन लोगों ने जनता की जायदादें हड़पी और बेकसूर लोगो पर तरह तरह के जुल्म ढाए और बहुत से बेकसूर किसान मारे गए। मुख्य मन्त्री जी स्वयं उस समय इस आन्दोलन को चला रहे थे जीन्द से चल कर हम लोग दिल्ली तक गए थे। हम लोग उनके खिलाफ वहां पर आन्दोलन चला रहे थे कि ऐसे कातिलो को जिन्होंने किसानों की हत्याएं की हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। मुख्य मन्त्री जी, आपकी इन्फोरमेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा कि उन्हीं लोगो ने करनाल जिले मे नौजवानो की भी हत्याए की थीं जिसको उन्होने पुलिस की मुठभेड़ दिखाया। It is a matter of record. मैं उस समय के एक ऐसे व्यक्ति को जनता था जिसके बारे में उस समय के DGP की रिपोर्ट है कि such an officer should not be promoted at any cost because he has mis-

conducted as a responsible officer of the Government. ऐसे लोगों को तरक्की देकर किसानों को मरवाया, बेकसूर लोगों पर नाजायज मुकद्दमे बनवाएं गए, लोगों की जायदादें हड़पवाई गईं। ये अधिकारी उस वक्त की सरकार की सारी काली करतूतो मे शामिल थे और उन्होंने स्वयं भी करोड़ो रुपये की जायदादें बनाई। उनके कब्जे से लैपटॉप तक पकडे गए। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि जब सी०बी०आई० की जांच हो तो ऐसे अधिकारी जो उस वक्त उनके साथ थे उनको भी ररी०बी०आई० जांच के घेरे में लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी की जांच रिपोर्ट के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि वह जांच उसी अवधि मे पूरी की जा सके। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियो की मिलीभगत के बगैर इसे गन्दी तरह से ऑपरेट नहीं कर सकते थे यदि अधिकारियों ने सरकार को सही समय पर सही सलाह दी होती तो सरकार कोई गलत काम कर रही नहीं सकती। वे अधिकारी सरकार के ऐसे लोगो के साथ खुद hand in gloves थे। (विध्न)

Mr. Speaker: Mann Sahib, please wind up now.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः सर, मैं थोड़ा रस समय और लूंगा। There was a group of 5-6 officers who were operating there. अध्यक्ष महोदय, मैं करनाल में ऐसे लोगों को जानता हूं जो नारकौटिकस का काम करते थे और पैसा खाते थे। उन लोगों ने नारायणगढ़ में सैंकड़ो एकड़ जमीन बनाई हुई है ऐसे अधिकारियो के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे लोगों को सी०बी०आई०की जांच के घेरे मे लिया जाए और यदि ऐसा सम्भव न हो तो हमारी स्टेट विजिलेंस से इनकी इन्क्वायरी करवाई जानी चाहिए कि किन लोगों ने सरकारी जमीनो को बेदर्दी से बेचा। नहरों के

रैस्ट हाउसिज को ऐसी बेदर्दी से बेचा कि एक लाख या डेढ़ लाख रुपये प्रति एकड की कीमत रखी हुई थी। जबकि किसी कल्लर जमीन का रेट भी इतना कम नहीं है और किसी जोहड़ के अन्दर भी इतनी कम कीमत नहीं है जब कि लाख डेढ़ लाख रुपये की रिजर्व प्राईस पर ये रैस्ट हाउसिजू बेचे गए। स्टेट के अंदर सैंकड़ो एकड़ जमीन ऐसे ही दी गई, इस में बड़ा भारी घपला है। मेरी मुख्य मंत्री जी से यह दरख्वास्त भी है और मैं मुख्य मंत्री जी से यह कहना भी चाहता हूं कि इस मामले की विजिलैन्स से इंक्वायरी करवायी जाए तथा बाकी लोगो के खिलाफ भी कार्रवाई रमी जाए। धन्यवाद।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले 15 सालों से इस विधान सभा का सदस्य बनकर चला आ रहा हूं लेकिन आज के दिन को देखकर मैं आपको और सदन के नेता को मुबारिकवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आज आपने सदन की मर्यादा को बनाए रखा। वरना हम तो सदन के अंदर उस समय देखा करते थे कि यहां पर किस तरह से व्यवहार किया जाता था। आज जिस तरह से उस दल के लोग यहां पर अनाप–शनाप बयानबाजी कर रहे थे, बेतुकी बातें कर रहे थे ऐसा उस समय होने का सवाल ही नहीं होता था। एक जमाना वह भी हमे याद है कि जब इनके मुखिया और पिछली सरकार के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके परिवार के लोग, उनके अधिकारी, उनके मंत्री और उनके विधायक जिस बेरहमी से इस प्रदेश के, इस देश के कानून को तोड़ने मरोड़ने लगे हुए थे, इस सदन की मर्यादाओं का हनन करते थे और एक तरह से सरकार का मजाक उन लोगो ने बना रखा था। उस समय जब हम प्रदेश के हितों की बात को कहने के लिए खड़े होकर अपनी बात रखना चाहते थे तो हमें खड़े होने से पहले सदन से बाहर कर दिया जाता था।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस बात के लिए आपको और सदन के नेता को मुबारिकवाद देता हूं। इतनी बेहूदगियो के चलते हुए भी आज आपने इस हरियाणा की विधान सभा में पहली मर्तबा एक अध्यक्ष की हैसियत से निष्पक्ष तरीके से सदन की कार्रवाई चलायी। आपने उनको बहुत मौके दिए और आपने उनकी बेहूदगियों को बर्दाश्त किया। सदन के नेता ने भी किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं दिखायी। दो मर्तबा आपने सदन को स्थगित करवाया लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप मो जानते हैं और हरियाणा की जनता भी जानती है कि ये लोग उस प्रजाति के हैं जो प्यार की भाषा को नहीं समझते हैं। इनकी प्रजाति की पहचान आपने और हमने पिछले कई सालों से देखी है। अभी तेजेन्द्रपाल मान जी ने बताया कि इन लोगो ने अपनी सरकार के रहते हुए क्या–क्या किया। मैं फिर से उन बातों को दोहराकर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। अध्यक्ष महोदय, इनके शोर मचाने के पीछे असलियत और भी है। प्रैस के हमारे साथी भी जानते है और हरियाणा प्रदेश की जनता भी जानती है कि जो चार्जशीट उस समय हमारे द्वारा ओम प्रकाश चौटाला और उनकी सरकार के खिलाफ जाच के लिए उस वक्त के महामहिम राज्यपाल महोदय को दी गयी थी वह अधूरी थी। अम–यक्ष महोदय, इन 9 महीनों के अर्से में उस ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के खिलाफ, उनके मंत्रियों के खिलाफ, उनके विधायकों के खिलाफ और उस वक्त के अधिकारियो के खिलाफ ऊब और कई संगीन पुख्ता सबूत हमारे हाथ मे आये हैं। इस बात को ये लोग भलीभांति जानते हैं कि सी०बी०आई० को अब जो जांच दी गयी है और वह नये आरोप जोकि पहले दिए हुए आरोपो से ज्यादा संगीन है, इनके गले की हड्डी बनने जा रहे हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, उस जांच से, अपनी उन काली करतूतों से, उन गलत कामो से लोगों की निगाहों

ये बचना चाहते थे इसलिए ये आज इस तरह की बेहूदगी कर रहे थे। में आपको मुबारिकवाद देता हूं और आपके माध्यम से उन लोगो को एक मशविरा देता हूं कि वे हरियाणा के लोगो पर रहम करे। इन्होंने पिछले पांच सालों में हरियाणा के लोगो का बहुत नुकसान किया। अध्यक्ष महोदय, आज इस तरह के व्यवहार से उनकी दो बातों की मंशा जाहिर होती है कि जो आज सदन मे इतने महत्त्वपूर्ण सवाल लगे हुए थें जिनके माध्यम से हरियाणा की जनता का न जाने कितना निदान होना था और जिनके लिए मुख्यमंत्री जी ने और दूसरे मंत्रियों ने लोगों को राहत देने के लिए सवालो की तैयारी की थी, वे काम इन्होने नहीं होने दिए। अध्यक्ष महोदय, ये लोग हरियाणा के लोगो के हितो की बात करते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज क्वैश्चन ऑवर के बाद जीरो ऑवर में एक महत्त्वपूर्ण विषय यानि बिजली और पानी की समस्या को लेकर इन्होने एक कालिंग अटेंशन मोशन दिया था। यह मोशन प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय था लेकिन ये लोग अपने कालिंग अटैशन मोशन पर भी इस तरह की समस्याओ का जिक्र यहां पर नहीं करना चाहते जबकि मुख्यमत्री और मंत्रियों ने इनके कालिंग अटैशन मोशन का बहुत बढ़िया जवाब देना था। ये लोग इस तरह की समस्याओ पर यहा पर चर्चा नहीं करना चाहते। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ एक बार फिर आपको मुबारिकवाद देता हूं कि आज आपने इनको जो सबक सिखाया है वह बहुत कम है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर फिर भी ये आईन्दा इस तरीके की गुस्ताखी करें तो आप इनको एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए यहा से रूखूसत करे जिससे हरियाणा के लोगो को कुछ राहत मिले।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का इरादा जानना चाहता हूं। सरकार का ओम प्रकाश चौटाला के मुताल्लिक इरादा क्या है। 10 महीने हो चुके लेकिन अब तक मामूली सा भी चौटाला जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। सारे कांग्रेसी भाई बैठे हैं कोई उसको डाकू कहते हैं, कोई कुछ कहते है जिसकी जो मर्जी आती है वह कहता है और असलीयत भी यही है। सारा हरियाणा प्रदेश यह जानता है लेकिन मैं जहां तक समझ सका हूं सरकार ने दस महीने मे चौटाला का कुछ नहीं बिगाडा, उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी शुरू की हो या उसकी किसी तरह की ज्यादतियों के खिलाफ कोई कदम उठाया हो तो ये बताएं? दस महीने बीत चुके, जितने भू–माफिया थे, गेंगस्टर थे, उसके दामाद का ठेका था गुड़गांव में और खानक मे। उन्होंने दस महीने चुप्पी रखी खानक में और अब वे वैसे ही सक्रिय हैं जैसे चौटाला के राज में सक्रिय थे, मैं तो कहता हूं कि ऐसा लगता है कि मिलीभगत से ही उसको स्टे दिलवा दिया गया हो। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि इस बारे मे सरकार का इरादा क्या हे?

श्री अध्यक्ष: गौतम जी, आप उसी प्वॉयंट पर रहे।

श्री राम कुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, मैं आज मुख्यमत्री जी से इस बारे मे बयान चाहता हूं कि चौटाला साहब ने जितने जुल्म किए थे, 25 हजार इम्पलायीज जो नौकरियों से निकाल दिये थे। वे बेचारे आज सड़कों पर गोलियां लाठियां खाते हुए घूम रहे हैं, उनको बहाल करो। जितनी इन लोगों ने शैतानियां और बदमाशियां की हैं, आज वे डाकू दल के शैतान और बदमाश लोग आप लोगो पर कीचड़ उछालते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी में एक रणदीप सिंह सुरजेवाला का दोष नहीं है .....

Mr. Speaker: It is not to be recorded.

चौ० धर्म पाल सिंह मलिक (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने जो विषय उठाया है और उस पर सभी लोगों ने अपने विचार रखे हैं। अभी रीसैंटली लोकसभा में इस बारे में एक कमेटी गठित की गई है जिसमे लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भी है उनमें से वहा पर एक दो एम०पी० ने क्वैश्चन फिक्सिंग की है उरस्के संबंध में कमेटी गठित की गई है केवल इस बात पर कि यह टी०वी० पर दिखाया गया है। लेकिन यहा इन लोगों ने साजिश कर रखी है बाहर रे' ही फिक्सिंग करके आए हैं कि हाउस को नहीं चलने देंगे। हाउस की कार्यवाही बाधित होने से प्रदेश की सवा दो करोड़ जनता का पैसा बर्बाद होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मुद्दे को लेकर इस हाउस की कमेटी गठित की जार, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए कि किस मंशा से हाउस का कार्यवाही इन्होंने रोक रखी थी ?

श्री राधे श्याम शर्मा अमर (नारनौल): अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र मे विपक्ष का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उन्होंने अपने रोल मे बहुत कोताही की है, प्रजातत्र का मर्डर किया है। आपने और सदन के नेता ने इस मामले मे बहुत ही सहनशीलता दिखाई है। लेकिन मैं चाहूगा कि आज हमने बहुत महत्त्वपूर्ण सवाल करने थे। हमारी स्टेट के अस्पतालों की बिल्डिंगें टूट गई है, लोग मर रहे हैं उसकी बात करनी थी, हमने पानी की बात करनी थी। मेरा निवेदन है इन साथियों को विपक्ष के नेता का भी स्टेटस प्राप्त नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे इंदौरा साहब को हर सवाल के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है और ये सारी गलत बातें बोलते हैं, कोई ठीक बात नहीं बोलते हैं। यहां आकर के केवल ये अपने भ्रष्ट नेता की पैरवी ही करते हैं और उस नेता को अब तक जेल के

अंदर दे देना चाहिए था जो अभी बाहर बैठा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इनको विपक्ष का स्टेटस न देते हुए समय के मुताबिक आप हमसे पर्चियां ले लो और जो ठीक ढग की बात बोलना चाहते है उनको बोलने का मौका दिया जाए। मेरा दो मिनट का समय पूरा हुआ। जय हिंद।

प्रो० छतर पाल सिंह (धिराय): अध्यक्ष महोदय, आज पहली बार ऐसा हुआ कि आपने दो बार हाउस को एडजर्न किया और आपने एक संरक्षक के तौर पर सदस्यों को बोलने की पूरी छूट दी कि वे क्या कहना चाहते हैं। हालांकि उनके मसले मे कोई दम नहीं था। जितना हमारा एक्सपीरियैंस है उसके आधार पर मैं तो कहना चाहता हूं कि जो भी इंडियन नेशनल लोकदल के साथी विधान सभा मे चुनकर आते रहे हैं, मेजोरिटी के बारे में कहूंगा कि वे एक तानाशाही का शिकार रहे हैं। एक व्यक्ति के द्वारा गवर्नंड हें एक व्यक्ति जो उनको डायरेक्यांज दे देता है वे उसी के ऊपर सोचते हैं न उससे कम सोचते हैं और न उससे ज्यादा सोचते हैं। एक बार उनकी पाटी में ज्यादा सोचने वाले को भती किया गया था उसकी यह रवायत हुई थी कि वे सारे सदस्य पाटी को छोडकर चले गये थे और सरकार किसी दूसरी पाटी की बन गई थी। उसके बाद इन्होंने पाटी में सदस्य भती करने का क्राईटेरिया ही बदल दिया selection of tickets, selection of recruitment in party, जितना नाप तोल कर बताया जायेगा, समझा दिया जायेगा उतना ही काम करेंगे उससे ज्यादा नहीं करेंगे। स्पीकर सर, हम लोग देखते रहे कि आज सरकार जो चल रही है वह पूरे अमन चौन के साथ शॉतिप्रिय माहौल के अन्दर चल रही है। आपने हाउस के अन्दर सभी सदस्यों के अधिकारों को बहाल किया है। हरियाणा के आम शरीफ और गरीब आदमी के अधिकारों को बहाल किया। जितने गुण्डे

बदमाश एलीमैंटस इण्डियन नेशनल लोकदल की सरकार के सरगनाओ के तौर पर जो पैदा हुए जितनी भी कत्लोगारत, गुण्डागदी डकैती लूटपाट हुई थी आज चौ० भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व की काग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरे हरियाणा के अन्दर ऐसा माहौल बनाया कि गुण्डे बदमाश आदमी यहां पर हरियाणा मे टिकने मे बहुत बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं वे या तो हरियाणा को छोड़कर चले गये हैं और यदि यहां है तो हमारे कानून के शिकार हुए हैं। स्पीकर सर, विधान सभा कै अन्दर जब वे लोग सत्तापक्ष मे होते थे तो वे नहीं चाहते थे कि विपक्ष का कोई सदस्य या उनकी पार्टी का सदस्य हाउस के अन्दर हरियाणा के हक पर सोच विचार कर सके या कोई बात कर सके। स्पीकर रनर, आप जानते हैं कि गवर्नर साहब के द्वारा सदन के बुलाने पर करोड़ों रुपया जनता का खर्च होता है और हरियाणा के विकास की बात, हरियाणा को आगे बढाने की बात का समाधान करने के लिए सैशन बुलाया जाता है। हर सदस्य की यह जिम्मेवारी बनती है। कि जिन बातों मे कोई तथ्य न हो उनको इस सदन मे नहीं रखना चाहिए। सदन के पिलर पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि पढ़े लिखे आदमी या अनपढ़ दोनो सदस्यो को यहां बोलने की आवश्यकता है लेकिन चुप रहना भी गुनाह है बोलना भी आवश्यक हे लेकिन गलत बोलना एक पाप है। अनावश्यक बोलना या गलत बोलना या न बोलना भी पाप है। हमारे माननीय सदस्यों ने इस बात की चिन्ता जाहिर की है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो व्यान यहां पर दिया हे कि हमे थोड़ी पेसैंस रखनी चाहिए। यह ठीक है कि जिन बातो का जिक्र करने से अपराधी सतर्क हो जाते हैं वे बाते नहीं करनी चाहिएं। आज श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके जितने भी गैंगस्टर हैं हमारी सरकार उनको सतर्क नहीं करना चाहती। उन्होने बड़ी सफाई से

हथकण्डे अपनाकर प्रदेश को लुटा है। पिछले पांच सालों मे अखबारो ने भी उसमें बड़ी शर्मिदगी महसूस की है और डर महसूस किया है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं लिखा। हरियाणा की प्रैस ने भी कुछ नहीं लिखा। उनके खिलाफ इतने मामलात है कि वे जेलों से बाहर नहीं जा सकते। जैसा मान साहब ने जिक्र किया। उन मामलात में उस समय के अधिकारी नहीं बचेंगे कोई कर्मचारी नहीं बचेगा और न ही कोई ठाडा नेता और बदमाश बचेंगे। स्पीकर सर, दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि सरकार उनकी पाटी के नेता का और जितने उनके ठाडे नेता हैं या बदमाश आदमी हैं उनके पासपोर्ट जस्त कर ले क्योंकि ऐसा न हो कि कहीं वे देश छोड़कर भाग जाएं। वे भागेगे यहां नजर नहीं आयेंगे। इसलिए समय रहते इनका इन्तजाम करना चाहिए। इसके इलावा मेरी एक इल्तजा यह है कि इलैक्शन कमीशन ने एक क्राईटेरिया बना रखा है कि किसी भी पाटी के इतने प्रतिनिधि चुनकर आयेंगे तो उसी पाटी को as a political party recognition मिल पायेगी। मैं तो यह कहता हूं कि इनकी पाटी की परफौरमैंस को देखो, नीयत को देखो। क्रिमिनल बिहेवीयर को देखकर इण्डियन नेशनल लोकदल जेसी पाटी की राजनीतिक रिकोगनशिन political party रद्द कर देनी चाहिए। इण्डियन नेशनल लोकदल पाटी की गैर जिम्मेदाराना किस्म की बात हरियाणा की जनता के सामने और हरियाणा विधान सभा के अन्दर जिस प्रकार का परिपेक्ष्य पेश किया है मैं तो कहता हूं कि इस सदन को एक प्रस्ताव पास करके इलैक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया को लिखना चाहिए कि इनकी पाटी की परफौरमैंस को देखकर पार्लियामेट में और इस हाउस में बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से इनके व्यवहार को देखकर इनकी पाटी की मान्यता को रह कर देनी चाहिए।

Mr. Speaker: Prof. Sahib, please take your seat now.

श्री रामकिशन फौजी (बवानीखेडा–एस०सी०): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आज विपक्ष के साथियो ने इस हरियाणा की जनता की भलाई के लिए सरकार को सुझाव देने थे लेकिन मुझे दुःख हुआ कि उन्होंने सदन मे ऐसा बिहेव किया जिस कारण उन्हे सदन से बाहर किया गया लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपने फिराखदिली दिखाई कि आपने हाउस को 10 मिनट के लिए और 20 मिनट केलिए दो बार स्थगित किया। उसके बाद भी आपने फिर उनको मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, जब हम विपक्ष मे थे, हम बोलने के लिए खड़े होते थे तो हमे उसी टाइम नेम कर दिया जाता था। लेकिन आज तो मार्शल ने उन्हे बाहर निकाला और अच्छे तरीके से बाहर निकाला। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार मे जेलो के ऐसे गुण्डे बदमाश मार्शल के नाम पर बैठाए जाते थे जिन पर 302 के मुकदमे चले होते थे वे हमें अंग्रेजो की तरह बेददी से सदन से बाहर निकालते थे। हमारे दो पुराने साथी अशोक अरोड़ा जी और पूर्व वित्त मंत्री सम्पत सिंह जी यहा अध्यक्ष गैलरी में बैठे हुए हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी चश्मे को हाथ लगाते थे और हाथ लगाते ही हमे सदन से बाहर किया जाता था, जहां आज मार्शल बैठे हैं वहां पुलिस के साथी सिविल वर्दी में बैठे होते थे। हमारे साथी श्री रघुबीर सिंह कादियान को और हमे इस तरीके से सदन से बाहर निकाला जाता था जैसे मर्डर करके बाहर निकाला जाता हो। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उनको अच्छे तरीके से बाहर किया गया है। आज हरियाणा प्रदेश इस हाउस की तरफ देख रहा है कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व मे सरकार बनी है और यह सरकार ईमानदारी के काम करेगी, भलाई के काम करेगी लेकिन हम

चाहते थे कि विपक्ष सरकार को अच्छे सुझाव देता और सरकार उन सुझावो को यूज करके अच्छे काम करती। बड़े दु:ख की बात है कि विपक्ष ने सदन मे ऐसा व्यवहार किया जिस कारण उन्हें हाउस से बाहर जाना पड़ा। ओम प्रकाश चौटाला और उसके परिवार के सदस्य और उनकी सरकार के सदस्यों के कारनामो की इन्क्रवायरी सी०बी०आई० को दी गई और जिसकी हाउस में चर्चा होनी थी. इनका तो एक ही मकसद था कि हम हाउस से बाहर चले जाएं और इस चर्चा को सुने।

चौ० अर्जन सिंह (छछरौली): अध्यक्ष महोदय, मेरे साथियो ने जो आपकी तारीफ की है में भी उससे सहमत हूं, मैं डिटेल में जाऊंगा तो काफी देर लग जाएगी ओर मुझे समय बहुत कम मिला है। सबसे पहले मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज सुबह जब हमने अखबार पढ़ा तो बहुत खुशी हुई कि मुख्यमंत्री महोदय ने ओम प्रकाश चौटाला के कारनामों की इन्क्रवायरी सी०बी०आई० को दे दी। इन्होंने एक बहुत बड़ा पुन क्य काम किया है। यह काम बहुत पहले होना चाहिए था। एक बार पहले भी यह खबर आई थी कि चौटाला के कारनामों की इन्क्रवायरी सी०बी०आई० को दी गई है। लोगों ने राहत की साल ली थी। हमारे गांव के लोगो ने उस दिन अखबार लिए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि तुम अखबार का क्या करोगे तो उन्होने कहा कि अखबार मे चौटाला की इन्क्रवायरी की खबर आई है इसलिए किसी से अखबार पढवाएंगे। लेकिन अगले ही दिन वह बात खत्म हो गई। मैं मुख्यमंत्री महोदय से अपील करना चाहूंगा कि उस आदमी ने जितनी लूट खसोट हरियाणा मे की उससे आप ही बचाएंगे क्योकि हमें आपसे ही उम्मीद है। मैंने दो बार जश्न का माहौल देखा। एक बार तो जब लोकसभा के इलैक्शन का रिजल्ट आया तो लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, मैंने

कहा कि क्या बात है कौन जीत गया। लोग कहने लगे कि जीतने का तो हमें पता नहीं लेकिन ओम प्रकाश चौटाला हार गया, चौटाला के दोनो लड़के हार गए, हम तो इस बात की खुशी मना रहे हैं जीतने का हमें नहीं पल। कि कौन जीता है। उन्हें उम्मीद थी कि जैसा लोकसभा के इलैक्शन का रिजल्ट आया है ऐसा ही आगे विधान सभा के इलैक्शन मे भी आएगा और लोगों ने राहत की सांस ली थी। मैं मुख्यमंत्री महोदय से अपील करूगा कि ओम प्रकाश चौटाला कैंसर के फोड़े की तरह है इसका आप इलाज कराएं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की दो समस्याएं बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः अर्जन सिंह जी, बैठें। आप इस तंदूर पर रोटी न लगाएं।

श्री धर्मबीर गाबा (गुड़गांव): अध्यक्ष महोदय मैं एक और विषय पर बोलना चाहता हूं, आज हमे यह इन्फर्मेशन मिली कि ओनरेबल प्रेजीडेंट ऑफ इडिया ने कैसीनो का बिल जो लैजिस्लेटिव असेम्बली में 2002 में पास हुउग्र था, उसको रिजैक्ट कर दिया हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें सिर्फ इस हाउस के लोग ही नहीं बल्कि सारे हरियाणा के लोग मशगूल होगे। मैं समझता हूं इसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। ये गुड़गांव में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ब्रांच को खत्म करके कैसिनो खोलना चाहते थे और अब जब यह बिल रिजेक्ट हो गया है तो इसके लिए सारे गुड़गांव के लोग धन्यवादी हैं कि उनके बच्चे इस गंदी आदत से बच गए हैं, बदइज्जत से बच गए हैं, लोगों का भला हो गया है, उनके बच्चे बरबाद होने से बच गए हैं। मैं चाहता हूं कि सारा सदन इस रैजोल्यूशन को पास करके इसे प्रेजीडेंट ऑफ इंडिया को भेजे। धन्यवाद सर।

Mr. Speaker: Question is—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move motion under Rule 16.

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित रहेगी।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Assembly at its rising the day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

Mr. Speaker: Now, a Minister will lay papers on the Table of the House.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to lay on the Table—

The Finance Department, Notification No. S.O. 96/H.A. 6/ 2005/S. 15/2005, dated the 9th December, 2005 regarding the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2005, as required under section 15 (3) of the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.

The Report of 2nd State Finance Commission Haryana (September, 2004), as required under clause 4 of Article 243-1 and

clause 2 of Article 243-Y of the Constitution of India.

The Audit Report on the Accounts of Haryana Financial Corporation, Chandigarh for the year ended 31st March, 2002, as required under section 37 (7) of the State Financial Corporations Act, 1951.

The Separate Audit Report on the Accounts of Haryana Financial Corporation, Chandigarh for the year ended 31st March, 2003, as required under section 37 (7) of the State Financial Corporations Act, 1951.

The 37th Annual Report of Haryana Warehousing Corporation, Panchkula for the year 2003-2004, as required under section 31(11) of the Warehousing Corporation Act, 1962.

The 32nd Annual Report of Haryana Tanneries Limited, Jind for the year 2003- 2004 as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 5th Annual Report of Haryana Power Generation Corporation Limited, Panchkula for the year 2001-2002, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2005 (Commercial) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

विधान कार्य–

दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2005

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is--

That Clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री एस० एस० सुरजेवाला (कैथल): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा असेम्बली में सरकार कान्ट्रैक्ट फार्मिग के बारे में जो अमैंडमैंट लेकर आई है पंजाब की सरकार ने इसको दो तीन साल पहले ही एडाप्ट कर लिया है लेकिन पंजाब में वह कोई कानूनी प्रावधान के तहत नहीं हो रही है।

इस काण्ट्रैक्ट फार्मिग के बारे में मैं यहां पर दो तीन बातें कहना चाहूंगा। इस अमेंडमेंट के तहत – काण्ट्रैक्ट फार्मिग के लिए किसान अपनी जमीनें बडी–2 कम्पनियों अथवा बड़े धनाढ़य लोगों को ऑफर करेगे। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो छोटे किसान हैं उनके हितों को कैसे वाच किया जाएगा? कोई भी बड़ी कम्पनी या कोई भी बडा आदमी जिसे आप स्पोसर करेगे जिसको आप कहेंगे कि वह 500–1000–2000 या 5000 एकड़ जमीन लेने वाला है जाहिर है कि वह कम्पनी या व्यक्ति जो 5– 10 हजार एकड़ जमीन लेगा वह अपना सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर लेकर आएगा। अपने एक्सपर्ट्स लेकर आएगा। उसके बाद भी बहुत सी एक्टिविटीज हैं जैसे कि सीड कौन सा इस्तेमाल करना है, फसल के लिए दवाई कौन सी इस्तेमाल

करनी है या दूसरी और चीजें हैं उनके बारे में वह फैसला करेगा। उसके बाद जब फसल बन कर तैयार हो जाएगी तो उस फसल की प्राईस तय होगी, वह कौन करेगा? छः महीने के बाद जब फसल मण्डी मे आएगी तो छोटे किसान उस फसल की कीमत कैसे तय कर सकेगे क्योंकि फसल की प्राईस कम्पनी तय करेगी इसलिए जाहिर है कि फसल की बारगेनिंग पावर किसान के पास न हो कर उस कम्पनी के पास ही रहेगी। इसमें किसान को ऊंची प्राईस तथा रैम्यूनरेशन प्राप्त हू सके इसके लिए मैं यह कहूंगा कि सरकार को इसके लिए मैकेनिज्म को और स्ट्रैग्थन करना चाहिए जो कि किसान को प्रोपर एडवाईस दे सके। किस तरह से एग्रीमैंट होगा टैक्नीकली बातें जो एग्रीमैंट में आएंगी वह कैसे लिखी जाएंगी इस बारे मे इन्डिविजुअल किसान को कुछ पता नहीं है इसलिए मेरी रिस्पेस्ट है कि सरकार उसके गार्जियन के तौर पर काम करे और किसान के हितो का पूरा ख्याल रखे। स्पीकर सर, मौटेतौर पर मैं यह कहूंगा कि किसान के हितो की रक्षा के लिए सरकार एक ऐसा मैकैनिज्म बनाएगी जिससे बारगेनिंग के वक्त किसानों के हितों को किसी प्रकार से कोई नुकसान न पहुंचे। धन्यवाद।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से सरकार और सदन को बताना चाहूंगा कि हरियाणा में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकता तथा मन्शा किसान और खेत मजदूर का भला करना तथा उसको अच्छे अवसर प्रदान करना है। इसी बात को ध्यान में रखकर आज जो विभिन्न क्षेत्रो में क्रान्ति आई है सरकार ने उसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाया है। सारे जगतो के साथ औद्योगिक जगत में नई क्रान्ति आ रही है तथा कृषि जगत में जो नई क्रान्ति हुई है उसका हिस्सा तथा लाभ हमारे किसान और खेत मजदूर को मिले इसीलिए

हरियाणा के मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में हम इस कानून को लेकर आए हैं। स्पीकर सर, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहूंगा कि हमने इस बिल में आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्ज मे तरमीम की है। एग्रो प्रोसैसिंग सिस्टम में तीन चीजें ऐसी है जिनसे आगे आने वाली 21 वी सदी में खेती में नई क्रांति आएगी। स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने यह विषय उठाया हे कि किसान के हितों की रक्षा कैसे होगी। स्पीकर सर, हरियाणा ही एक ऐसा प्रान्त है जिसने कानून में प्रावधान करके किसान के हितों की रक्षा की है तथा इस कानून को अमली जामा पहनाया है। कन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो भी कम्पनी आएगी उसके लिए कानूनी प्रावधान किया गया हे। स्पीकर सर, हाउस की जानकारी के लिए मैं इस बिल की क्लाज–4 की ओर आपका तथा हाउस का ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसके द्वारा सैक्शन 8–ए (।) जोड़ने का प्रावधान किया है इसमें हमने स्पष्ट लिखा हैः–

"contract farming sponsor shall register himself with the Committee or with a prescribed officer in such manner as may be prescribed"

काण्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो कम्पनी होगी वह हमारे पास रजिस्टर्ड होगी इसके लिए सरकार किसी अधिकारी को डैजिगनेट करेगी। कोई भी कम्पनी अथवा व्यक्ति सरकार की परमिशन के बिना कान्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ही नहीं सकेगा। किसानों के साथ वह जो भी समझौता करेगा उसमें किसानों के हितों की प्राथमिकता रहेगी। आम साधारण किसान के हितों की रक्षा के लिए जो कम्पनी अथवा व्यक्ति कैपेबल नहीं होगा वह किसानों के साथ कोई कान्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और सरकार इस बात का पूरा ख्याल रखेगी कि क्या समझौता होगा और इसका प्रारूप सरकार प्रिस्काईब करेगी

और इस बात का प्रावधान इस बिल की क्लॉज 4 की सब क्लॉज 8–ए के पार्ट (2) के अंदर सरकार ने किया है। स्पीकर साहब, इतना ही नहीं किसान की सम्पत्ति को कोई बड़ा अनुबन्ध करके रख न ले, उसे गिरवी न रख ले, उस पर कब्जा न कर ले, उसकी मलकियत का हस्तान्तरण न हो जाए इसलिए हमने यह क्लॉज एड की है। मैं हाउस को यह पढ़कर बताना चाहूंगा।

"Notwithstanding anything contained in contract farming agreement no title, rights, ownership or possession of the land shall be transferred or alienated or vested in the contract farming sponsor or his successor or his agent as a consequence arising out of the ontract farming agreement."

स्पीकर साहब, हमने काफी व्यापक प्रावधान इस बिल में इस बात के लिए किया है कि किसान की जमीन और किसान के हको की सुरक्षा हो। इस कंट्रैक्ट फार्मिंग की एक नयी रोशनी सरकार किसान और खेत मजदूरों की जिंदगी में पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्किटस एक्ट, 1961 में तरमीम करके लेकर आयी हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम सै सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बिल लगे पारित किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा। पंजाब का उदाहरण श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने दिया है कि पंजाब मे पिछले दो सालो से जो कंट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है वह कोई कानूनी प्रावधान के तहत नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, कंट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में पंजाब वाले कोई भी कानूनी प्रावधान किसान के हित को ध्यान में लेकर नहीं आये थे जबकि आज हम यह प्रावधान लेकर आये हैं। उन्हीं के तुर्जुबे को देखकर हमारी सरकार यह बिल लायी है। जो पंजाब में

किसानों का अहित हुआ है वह हमारे यहां पर नहीं होगा। पंजाब में केवल इनफोर्मल एग्रीमैन्ट हुआ था इसलिए वहां के किसानों को दाम नहीं मिले। लेकिन यह कानून इस बात को बाध्य करेगा कि जो कंट्रैक्ट होगा वह पूरा इफ्लीमैंट किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में हमने पूरा मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है।

Mr. Speaker: Question is -

That the Bill be passed.

The motion was carried

दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रैगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट एंड वैलीडेशन) बिल, 2005

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Bill, 2005 be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Bill, 2005 be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Bill, 2005 be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल): स्पीकर सर, यह बिल एक बहुत ही ठीक बात के लिए लाया गया है, जो कुछ इस में डिफैक्ट्स थे उनकी वजह से लोग कोर्ट्स मे गए थे। इससे सरकार का काफी पैसा लोग हजम कर सकते थे, उसकी रोकथाम के लिए इस बिल को सरकार लेकर आई है। इस ओकेजन पर मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह कहूंगा कि यह अफैडमैंट अर्बन एरियाज में जो अनअथोराल्ड कालोनीज बनी हुई हैं उनको रैगुलराईज करने के लिए लाया गया है। आज हरियाणा में अनअथोराइज्ड कालोनीज की एक बहुत भारी शिकायत कंटीन्यू चल रही हे। पिछले 6 –6 साल में जब ओम प्रकाश चौटाला का राज था उस समय उनके चपड़ मुकद्दम और इनके विधायक और चाटुकार कार्यकर्ता थे जिन्होने अर्बन एरियाज में नीचे के एरिया पर इस तरह की कालोनीज बनाकर करोड़ों, अरबों, खरबों रुपये बनाए थे। इस तरह की कालोनीज बनवा कर के ओम प्रकाश चौटाला ने फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला में खूब पैसा इका किया। वे ऐसा करते थे कि अन–अथोराइज्ड कालोनीज में बहुत सस्ती जमीन किसानो की पैरीफरी में ले लेते थे और उसको लेते तो एकड़ के हिसाब से थे, जैसे 5 लाख या 10 लाख रुपये पर एकड़ के हिसाब से जो जमीन शहर के नजदीक थी उसको लेते थे और लेकर बेचते गजों के हिसाब

से थे और टोटली अनअथोराइज्ड कालोनीज की उन्होने भरमार कर दी। इस तरह उन्होने पूरे हरियाणा के शहरो का नक्शा खराब कर दिया। मैंने पिछले सैशन में भी यह बात कही थी कि सरकार को एक कानून लाकर इसमें तरमीम करनी चाहिए कि जिन लोगो ने अन–अथोराइज्ड कालोनीज बनाकर गरीब लोगों को मकान बेचे या प्लॉट गरीब लोगों को बेच दिए उनसे वहां के डिवैल्पमैंट चार्जिज वसूल करने चाहिएं। आम आदमी गांव का जो शहर मे आकर मजदूरी करने के लिए और रोजगार के लिए बसना चाहता है, उसका ख्याल था कि शहर तो शहर है उसको बेचारे को यह भी नहीं पता था कि यह मकान या प्लाट म्यूनिसिपल लिमिट मे है, अथोराइज्ड है, अन–अथोराइज्ड है, क्या है 7 वह तो यह समझता था कि शहर में पक्की सड़के मिलेंगी, नाली होगी, रोशनी होगी, गलियों मे पानी की टूटियां लगेंगी, सब तरह की सुविधायें होगो लेकिन अगर आज जाकर देखे तो स्लम भी नहीं कह सकते हैं लोगो ने मकान फ्लड की वजह से 4–4, 5–5 फुट और 6–6 फुट ऊंचे बनाए हैं। इसलिए कालोनीज की गलियो मे पानी खड़ा रहता है न इनमें सडके हैं. न नालियां हैं, न पीने का पानी है न वहां बिजली है। कैथल में मैंने कोशिश की ऐसी कालोनीज जिनमें गरीब लोग और उजाड़े हुए हरिजन हरसोला से, कालेखां से और बहुत से दूसरे गांवों से आकर कैथल में बसे हैं क्योकि उन गरीब लोगों के पिछली सरकार ने गांवों से उजाड़ दिया, उनके मकान तोड़ दिए, उनके मवेशी और उनका सामान लूट लिया। गरीब आदमी वहां आकर बसे थे और बड़ी मुश्किल से इधर– उधर से पैसा उधार लेकर जमीन ली थी और मकान बनाए थे। आज अगर वे बिजली का कनैक्शन लेना चाहें तो बिजली का जो बोर्ड था या कंपनी थी उसने एक सर्कुलर भेजा है कि जो आदमी अन– अथोराइज्ड कालोनीज मे बिजली का

कनैक्शन लेना चाहेगा तो 100 गज का प्लॉट होगा तो 15 रुपये प्रति गज के हिसाब से उसको चार्जिज जमा करवाने पड़ेगे फिर बिजली की सिक्योरिटी के भी जो पैसे होगे वह जमा करवाने पड़ेगे। जो प्लाट 100 गज से ज्यादा एरिया का होगा। उसके 25 रुपये प्रति गज के हिसाब से चाजिंज जमा करवाने पड़ेगे। पिछले सैशन मे मैंने कहा था कि जो लोग गरीब लोगों को मकान या प्लाट बेचकर गए हैं वे आइडैटिफाई हो सकते हैं। वहां के शहर के उसी इलाके के पिछली सरकार के चपड मुकद्दम वर्कर, विधायक और मंत्रियों ने यह किया है उनसे इस रुपये को वसूल करने का कानून बनाना चाहिए और उन कालोनीज में तमाम सड़के बनाने का, बिजली लगाने का, पीने का पानी देने का उनसे रुपया वसूल करके सारे डिवैलपमैट चार्जिज गरीब लोगो को देने चाहिएं। म्यूनिसिपल कमेटीज के पास इतना रुपया नहीं हे और हरियाणा सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं है कि तमाम अनअथोराइज्ड कालोनीज मे डिवैलपमैंट के लिए पैसा दे सके। मै आज भी सरकार से कहूंगा कि इस बात कौ सख्त जरूरत हैं क्योकि पूरे हरियाणा मे आज भी उन्हीं के लोग, एकाध कांग्रेस वाले को शामिल कर लेते हैं ताकि प्रोटेक्शन मिल जाए, इस तरह वे आज पूरे हरियाणा का सत्यानाश कर रहे हैं उनको तुरंत रोकने की जरूरत है और आज जो मैंने बात कही है, जो प्लाट या मकान बेचकर गए हैं वे उन से कालोनीज की डिवेलपमेंट से करवाएं। उनको पैसा देना पड़ेगा, और लाइसैंस लेना पड़ेगा। ऐसे अगर बेच देते हैं तो मैं तो कहता हूं कि कानून में तरमीम लाकर उनसे डिवैलपमैंट चार्जिज वसूल करने चाहिएं। अगर सरकार का यह ख्याल है कि उन लोगो को ट्रेस नहीं कर सकते तो एक दो शहरों मे तो जहां सरकार मेरी जिम्मेदारी लगाये, मैं ट्रैस करके दिखाऊंगा। उन लोगों ने जिन्होंने बेचा है आज भी उन्होंने महल

बना रखे हैं दुकान बना रखी हैं और बिल्डिंग बना रखी हैं और वहां के सारे लोगो को पता है कि वे लोग बेचकर गये हैं।

16.00 बजे

श्री धर्मवीर गाबा (गुडगांव): स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने जिन अन–अथोराइज्ड कालोनियों का जिक्र किया है। मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि जो रेट हुड्डा ने 120 रुपये प्रति गज के हिसाब से मुकर्रर किया है अगर उन लोगो को बेसिक अमैनिटीज दे दी जाएं तो वे लोग इस रेट के हिसाब से पैसे देने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि अगर इन कालोनियों को पास कर दे तो उन लोगों को बेसिक अमैनिटीज मिल जायेंगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि उन अन–अथोराइजड कालोनियों को रेगुलर कर दिया जाए। मैंने यही कहना है आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। श्री नरेश यादव (अटेली) अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव में जिस जमीन पर कैसीनो खोलने की योजना थी उस जमीन के बारे में जो प्रस्ताव पिछली सरकार लाई थी उसको रह करने का प्रस्ताव यह सरकार लाई है इसके लिए मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं। लेकिन पिछली सरकार द्वारा गुड़गांव में जिस जमीन पर कसावा बनाने के लिए जो जमीन एक्वायर की थी वहां पर एक एग्रीकल्चर रिसर्च सैन्टर काम कर रहा था और बहुत से साईटिस्ट्स वहां पर कार्यरत थे उस एग्रीकल्चर रिसर्च सैंटर को भी खोलने का काम यह सरकार करे क्योंकि जिस जमीन को कैसीनों खोलने के लिए पिछली सरकार ने ले लिया था उस प्रस्ताव को तो आप रह कर रहे है लेकिन जिस परपज के लिए वह जमीन थी उसी को ध्यान में रखते हुए वहां पर एग्रीकल्चर रिसर्च सैंटर बनाया जाये। इसके अलावा किसानो की

कान्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आई थी। उसके लिए बढ़िया वैज्ञानिक हमारे पास है। इसके अलावा बावल में एक एग्रीकल्चर रीजनल सेन्टर था जिसे यूनिवर्सिटी बनाया जाना था लेकिन पिछली सरकार ने उस एग्रीकल्चर रीजनल सैंटर को बन्द कर दिया वहां पर भी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने को काम सरकार द्वारा किया जाये। पिछली सरकार द्वारा जिन लोगो को धुप हाउसिंग सोसाईटी बनाने के लिए लाईसैस दिए गये थे। उन लोगों द्वारा जिन गरीबों की जमीन को लिया गया है उन गरीबों को कोई सुविधाएं उनके द्वारा नहीं दी गई हैं। चौटाला की सरकार द्वारा जिन लोगों को यह काम दिया गया था मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बारे मे जांच करने के लिए 2 –4 एम०एल०एज० की एक कमेटी बना दी जाए तब हम सरकार को बतायेगे कि जो आदमी वहां टूटी हुई चप्पल और टूटे हुए स्कूटर पर आये थे उन आदमियों में से वहां पर किसने 300 करोड रुपये की प्रोपटी बना ली है और किसने 500 करोड़ रुपये की प्रोपटी बना ली है। वहां के लोगों को नोटिस दे दे कर और अपने ग्राहक भेजकर लोगों की जमीन को ले लिया।

श्री अध्यक्ष यादव साहब, आप बिल पर बोलिए।

श्री नरेश यादवः सरकार इस जमीन को अपने पास रखे लेकिन पिछली सरकार के समय मे जो जमीन ली गई उस मामले की इन्क्वायरी करवाई जाये।

Mr. Speaker: Yadav Sahib, please take your seat. आप बिल से रिलेटिड नहीं बोल रहे हैं।

श्री नरेश यादवः स्पीकर साहब, यह भी बात आई कि कुछ कांग्रेस पाटी के लोग भी इसमें शामिल हैं उनका नाम भी बताया जाये और इस मामले की इन्क्वायरी करवाई जाए कि कितनी जमीन किस के पास है?

क्या सरकार इस मामले की इन्क्वायरी करवायेगी?

Mr. Speaker: Yadav Sahib, thank, you very much. Please take your seat.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान (पाई): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया। हरियाणा डिवैल्पमैंट रैगुलेशन आफ अर्बन एरियाज अमैंडमैंट बिल सरकार का सराहनीय कदम है, इसके अन्दर जो तरमीम सरकार ने की है, वह बहुत जरूरी है। सरकार ने बहुत अच्छी बात की है। इसकी हम सराहना करते हैं और इसका अनुमोदन भी करते हैं लेकिन जैसा सुरजेवाला जी ने कहा कि प्रदेश के हर अर्बन एरियाज में डिवैल्पमैंट की बड़ी विशेष समस्या है, जो गांव के आदमी माइग्रेट होकर शहर में आते हैं चाहे वह टीचर हो, क्लर्क हो या छोटा मोटा किसान हो या जिस्के पास थोड़ा बहुत पैसा हो वह पहले प्लाट लेता है। Exactly, I do not want to repeat it but Sir वह प्लाट भी पैसे की कमी की वजह से ऐसी कालोनी में ढूंढता है जो अन–अथोराइज्ड होती है। प्रदेश के शहरों के चारों तरफ चाहे आप करनाल मे जाएं, कैथल मे जाएं तरकरीबन सभी शहरों की सड़कें खराब हैं कहीं पर बुलडोजर चल रहा हैं, वहीं कुछ और काम चल रहा है। विशेष क् र मेरी मुख्यमंत्री महोदय से दरखास्त हे कि between illegal colonies and HUDA ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए जिससे गांवो से आने वाले जो गरीब लोग हैं उनको कोई दिक्कत न हो जो 100 गज का, 200 गज का या 300 गज का प्लाट लेते हैं और वे मजबूरन अनअथोराइज्ड कालोनियो में लेते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको पता होता है कि वे अन–अथोराइज्ड जगह पर प्लाट ले रहे हैं। हम करनाल जाते हैं, पानीपत जाते हैं, कैथल जाते है या कुरुक्षेत्र

जाते हैं, उन शहरो मे जाते रहने की वजह से हम देखते है कि 4–4 फुट ऊंचे मकान बने हुए हैं और गलियां नीची हैं उनके अपने घरो का पानी ही उन गलियों मे जाता है और उसकी निकासी नहीं हो पाती है। फिर वे लोकली हम लोगो के ऊपर प्रैशर बनाते हैं और कहते हैं कि हमारी कालोनीज को अथोराइजड करवाओ, बिजली का कनैक्शन दिलाओ, पानी का कनैक्शन दिलाओ। ये सारी मुश्किलें हें, हुडा के प्लाट की कीमत एक आम गरीब आदमी और मिडल तथा लोअर क्लास का आदमी नहीं दे सकता। हुडा के बहुत से रूल्ज हैं। प्लाट लेने के बाद फिर कम्प्रोमाइज फीस देनी पड़ती है लेकिन गरीब आदमी के पास थोडा पैसा होता है। एक बार पहले वह प्लाट लेता है फिर दो तीन साल पैसा जमा करता है फिर छोटा सा मकान बनाता है, कई बार तो वह बाउंडरी या एक कमरा बना कर रहता हे। सरकार को लोगों को अर्बन एरियाज में आने का मौका देना चाहिए ताकि वे अपने बच्चो को देहात से अर्बन एरियाज मे लाकर पढ़ा सकें। इसलिए में कहना चाहता हूं कि between HUDA and illegal colonization का कोई न कोई समाधान निकालना चाहिए जिससे हम लोकल लोगों की परेशानियों का समाधान कर सके। पहले तो गरीब लोग इल्लीगल जगह मकान बना लेते हैं फिर उसको मान्यता प्राप्त कराने के लिए हर विधायक पर जोर डाला जाता है। कभी आप करनाल जाए या कैथल जाएं तो देखेगें कि चारों तरफ जो ग्रामीण इलाकों मे सड़कें बन रही हैं हमारा अर्बन डिवैल्पमैंट का विभाग है, उस विभाग को देखना चाहिए या तो उनको शुरु मे रोक दे, बनाकर फिर रोकते हैं, गरीब आदमी का घर तोड़ते हैं। करनाल मे अभी इल्लीगल कालोनियो में बेशुमार घर ओर कोठियां तोड़ी गई। पहले क्या उनकी आखें मिची हुई थी, उन अधिकारियो को कोई कुछ नहीं कहता। उपभोक्ता बेचारा

सफर करता है, पहले अधिकारी गलत काम करवाते हैं, फिर उन गलत कामों के ऐवज में पेसे लेते हैं। फिर सरकार का प्रैशर पड़ता है ऊपर से डी०सी० कहता है या कोई और कहता है तो घर तुड़वाने चले जाते हैं, लोअर क्लास के लोगों की इस समस्या का हल सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को नो–प्रोफिट नो–लोस स्कीम पर जमीन एक्वायर करके छोटे–छोटे प्लाट लोगों को देने होगे तभी गांव के लोग सुख से, इज्जत से शहरो की तरफ रवानगी टाल सकते हैं।

Mr. Speaker: Question is -

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा स्पैशल इकोनोमिक जोन बिल, 2005

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana Special Economic Zone Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Special Economic Zone Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Special Economic Zone Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Special Economic Zone Bill be taken into consideration at once.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के सहयोगियो को हरियाणा स्पेशल इकनोमिक जोन बिल यहां सदन मे लाने के लिए मुबारकवाद देता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बिल के आने से हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी

क्रांति आयेगी। सरकार की अच्छी नीतियों की ही वजह है कि जब से मुख्यमंत्री जी ने जो कार्यक्रम प्रदेश के लोगों के सामने रखे हैं उनके कारण ही आज प्रदेश में धरती की कीमतों में बहुत बड़ा ऊछाल आया है। पिछले वर्षों में प्रदेश के अंदर धरती की कीमतो मे इतना बड़ा उछाल कभी नहीं देखा। उस समय किसानो को उनकी जमीनो के बहुत कम दाम मिलते थे और वे इधर–उधर मारे–मारे फिरते रहते थे। लेकिन आज जमीनो की कीमतें आसमान को छू रही हैं और पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण जहां किसानो, गरीब मजदूरो का चेहरा मुरझाया हुआ था वह आज खिला हुआ है, वे खुश हैं। सरकार जो स्पेशल इकोनोमिक जोन बिल लेकर आई है उसमें मुख्यमंत्री जी ने सभी अच्छी बातो का प्रावधान किया है लेकिन कुछ बातों का जिक्र अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यहां करना चाहूंगा कि जिन बड़ी अमैनिटीज को बिल के भाग एक में डिफाईन किया हे कि कौन–कौन सी अमैनिटीज डिफाईन करेंगे जैसे "amenities" means roads, water supply, street lighting, power supply, sewerage, drainge, public works, tourist spots, open spaces, parks landscaping and play fields and such other conveniences. अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने बड़े–बडे बिल्डर्स और प्रमोटर्स के साथ मिलकर गलत रिवायते प्रदेश के अंदर कायम करके ऐसी बडी–बड़ी बिल्डिंगें बना डाली जिनके बनने से संबंधित एरिया तरक्की करने की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। पिछली सरकार के समय में सभी नियमो को ताक पर रखकर लोगों की आखों मे धूल झोककर गुडगांव में रिहायशी इलाके मे ऐसे बडे–बड़े भवनों का निर्माण कर दिया जिनके बनने से वही पार्किंग की जगह भी नहीं बची तथा उन बिल्डिंगों के कारण कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, इस

बिल के आने के बाद हरियाणा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आयेगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से निश्चित नियम जारी किए जायें कि स्पेशल इकोनोमिक जोन में जो बिल्डिंग बनेगी तो उसकी कन्दाट्रक्शन का कवर्ड एरिया कितना होगा, कवर्ड एरिया के अंदर पार्किग कितनी होगी और सड़कें कितनी चौड़ी होंगी। इसके अतिरिक्त वहा डिस्पैंसरी और स्कूल की भी सुविधाएं होनी चाहिएं। इसमें स्कूल का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि स्पेशल इकोनोमिक जोन में जो भी बड़ी यूनिट लगे उसमे ये सभी सुविधाएं अवश्य हों। अध्यक्ष महोदय, आज चाईना दुनियां में सबसे ज्यादा ओद्योगिक प्रगति कर रहा है। मैं वहां गया नहीं हूं लेकिन इस बारे में अखबारो मे पढ़ा है। इसका कारण यह है कि चाईना मे जो भी बड़ा उद्योग लगता है उसमें काम करने वाले कर्मचारियो के साथ– साथ उनके परिवार के सदस्यों की सुविधाओ की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाता है यानि उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को स्कूल, डिस्पैंसरी आदि की पूरी सुविधाएं दी जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करता हू कि हमारें यहां जो स्पैशल इकनोमिक जोन बने उसमें इस तरह की सभी सुविधाएं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हू कि इस बिल मे जो कमेटी बनाने का जिक्र किया है, मैंने इसको पढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, आप भी इसको पढ़े। अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी के जो मैंबर हैं वे ज्यादातर हमारे बडे–बड़े अधिकारी हैं। इस बारे मै मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो बड़े–बडे इन्वौयर्नमैंटलिस्ट्स हैं, जो पर्यावरण की रक्षा करना जानते हैं, जो पर्यावरण को संभालना जानते हैं

जिनका पर्यावरण के क्षेत्र में लम्बी अनुभव है उन लोगो को भी अधिकारिक तौर पर इस कमेटी में शामिल करना चाहिए ताकि जिस इलाके में स्पैशल इकोनोमिक जोन बनेगा, वहां के पर्यावरण पर किस प्रकार का असर पड़ेगा इस बारे में हमें जानकारी मिल सके। इस तरह के लोगो को कमेटी मे शामिल करने से यह भी फायदा होगा कि जो उद्योग लगेंगे उनसे अंडर ग्राउड वाटर पर और आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर न पड़े इस बात का भी हमें पता चल जायेगा। इसलिए इन कमेटीज मे पर्यावरण से जुड़े हुए अच्छे लोगो को जोड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्पैशल इकोनोमिक जोन में क्योकि एरिया डिफाईन नहीं किया गया है इसमें कोई दो राय नहीं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पूरे हरियाणा के लिए यह सारा कार्यक्रम बनाया है लेकिन मेरा सुझाव है कि क्योकि इतनी बड़ी रियायतें इन डिवैल्पर्ज को इस बिल के माध्यम से दी जाएगी उनको टैक्सिज मुआफ किए जाएंगे और यहां पर उनको काम करने के लिए इतने बड़े साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, वहां पर जितने भी इस तरह के डिवैल्पर्ज आएंगे उनके लिए यह व्यवस्था हो कि जो ऑलरेडी डिवैलप्ट इलाके हें जहां पर डिवैल्पमैंट अपने आप हो रही है वहा पर ज्यादा कंस्ट्रेट न हो लेकिन जो हमारे गांव है मिसाल के तौर पर रिवाड़ी, झज्जर, पलवल, पलवल से भी आगे होडल, हथीन और उधर से भिवानी तथा हरियाणा के और इलाके हैं जैसे अम्बाला और ऐसे ही दूसरे इलाके जिनको मुख्यमन्त्री जी ने पिछडे हुए इलाके घोषित किया हुआ है उनके ऊपर ज्यादा कंस्ट्रैट होना चाहिए। कहीं यह डिवैल्पर्ज जो हमारे अच्छे इलाके हैं उनमे आकर इस तरह के फायदे उठाएं और वहीं पर काम करें और जो हमारे गांव

के इलाके हैं जहां पर काम करने की जरूरत है वहां पर काम न करके कोई नुक्सान न करे इस बात की तरफ भी ध्यान रखना होगा।

Mr. Speaker: Wind up, please.

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, आपने जो कमिश्नर और दूसरी अथौरिटीज फिक्स की हैं मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि आने वाले वक्त में हरियाणा प्रदेश को एक दिशा देने वाला जो यह बिल आया है अगर सरकार चाहे तो इसमें और विचार कर ले लेकिन इसके लिए जो रूल्ज बनेगे उनमें ऐसी व्यवस्था की जाए कि इस प्रदेश के अन्दर रहने वाले लोगो को इसका पूरा लाभ मिल सके। (विघ्न)

Mr. Speaker: Thank you very much.

Maj. Nirpender Singh Sangwan (Dadri): Speaker Sir, **I** would like to make two points in this regard. First is that all the buildings which will come up in the Special Economic Zone, should have water harvesting system otherwise, the Town & Country Planning will not fasten because of water problem. Second point is that the sons of soil who are well-qualified, they should have been given reservation in all the industries and who are unqualified, reservation is must for them in the industries which will come up in that zone.

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल): स्पीकर साहब, मैं बहुत ही ब्रीफली कहना चाहूंगा कि इस पर जब पहले चर्चा हुई थी तब भी मैंने मुख्य मन्त्री जी को हार्दिक मुबारिकबाद तथा बधाई दी थी और हरियाणा की सरकार की सराहना की थी। अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साढ़े पांच साल यहां पर एक? सरकार रही जो केवल बडी–बड़ी इण्डस्ट्रीज तो लगाती थी। केवल झूठ और लूटकी इण्डस्ट्री उस सरकार ने लगा रखी थी। इस सरकार के बनने के केवल तीन महीने के बाद ही यह सरकार बहुत बढ़िया स्कीम

लेकर आई है। पिछले साढ़े पांच साल तक जो सरकार रही वह यह नहीं चाहती थी कि लार्ज स्केल पर विस्तृत रुप से इण्डस्ट्री यहां पर आगे जाए। उस सरकार ने लोगों को तो क्या पढ़ाना था वह सरकार टिकट भी ऐसे लोगों को देती थी जो आठवीं फेल थे और आधे जो पढ़े–लिखे थे वे उनसे बहुत ज्यादा डरते थे तथा अपना सिर और गर्दन नीची करके वे लोग अपना वक्त काट गए। जो बाकी बचे वे पार्टी से निकाल दिए गए या पढ़े–लिखे लोगों को टिकट ही नहीं दिए गए। इसलिए उस सरकार का तरक्की का कोई सपना नहीं था। वे लोग केवल झूठ बेचते थे और जनता को लूटते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी को मुबारिकवाद देता हूं। आप देखिए कि इनके जो सलाहकार लोग हैं जो अधिकारी, मंत्रिमंडल और दूसरे जो लोग हैं वे कितनी बढिया स्कीम लेकर आए हैं। इस स्कीम मे कोई दिक्कत नहीं है इससे पूरा हरियाणा आगे जाएगा बशर्ते इनको किसी स्पेसिफिक जगह पर कन्सट्रेन्ट न किया जाए। इस स्कीम को दिल्ली के आस–पास ही कन्सन्ट्रेट न किया जाए बल्कि इस स्कीम को दिल्ली के बाहर भी कन्सन्ट्रैट किया जाए इससे वहां पर बहुत ऐडवान्टेज है लेकिन इन्टीरियर में फार ऑफ ऐरियाज भी हैं अगर वे ऐरियाज बेकवर्ड हो जाएंगे तो स्टेट बहुत बैकवर्ड तथा इम्बैलैन्स हो जाएगी। तो उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, चाहे इसके लिए उनको और कंसैशंज ही क्यों न देने पड़े लेकिन उन इलाकों मे स्पोर्ंस्ड मोटीवेट करें। एस०ई०जैड० के कन्सैप्ट का जो आईडिया है वह बहुत ही नया और बहुत ही अच्छा है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातों की तरफ जो हमारे साथियों ने बोलते हुए चर्चा की है, दोबारा से सरकार का और मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब भी स्पोर्स्ट कहेगे कि यह जमीन उन्होंने स्वयं खरीद ली है या जो जमीन सरकार ने ऐक्वायर करनी है

तो यह बहुत इनीशियल स्टेज होगी लेकिन ये काम करने बहुत जरूरी हैं। उसके बाद तो प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद वे फिर डिवैल्प करेंगे। जब भी एस०ई०जैड० की कोई फाईनल स्टेज पहुंचे तब स्पोंसर्ड की यह डयूटी होनी चाहिये और सरकार को ऐक्ट के और कायदे के धू यह इफोर्स भी करना चाहिए कि वह सबसे पहले यह बताएं कि जो गांव उजडेगे क्योकि एक या दो गांव तो उजड़ेंगे नहीं बल्कि कई गांव इसमें उजड़ सकते हैं तो वहां के लोग कहां जाएंगे? वहां के लोग कोई घास तो खोदेगे नहीं या वहां के लोग मिट्टी तो ढोएगे नहीं। इसलिए एस०ई०जैड० के साथ साथ वहां के गांवों के लोगों की तरक्की भी बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इसके लिए सरकार एडवान्स प्लानिंग भी करेगी। उदाहरण के तौर पर जो वहां के बेरोजगार बच्चे हैं, वहां के जो बड़ी उस के लोग है, सीनियर सीटिजन्स हैं इन सबको एम्पलायबल लोग बनाने के लिए एडवान्स मे सबसे पहले उनको ट्रैनिंग देना जरूरी है। जिस किस्म की एस०ई०जैड० में इण्डस्ट्रीज लगेगी उसी किस्म के ट्रैनिंग के लिए इंस्टीव्यूशंज इमीडिएटली वहां पर सेटअप करने पड़ेंगे। इसी तरह से जब एस०ई०जैड० लगेगा तो वे लोग वहां पर गावो को नहीं रखेंगे और अगर रखेगे भी तो वे गांव स्लम की तरह ही हो जाएंगे। इसलिए एडवान्स मे उनके लिए मार्डन हाउसिज भी बनाने पडेंगे। उनके लिए उसी जगह पर प्रिफरैब्ली मकान बनाने पड़ेगे। वहां पर उनके लिए अच्छी यूनिट्स बनानी चाहिएं जिसमें पूरी फेसेलिटीज मोजूद हो। ये उसी स्थान पर या उसके आसपास गांवों के लोगों की मजी से बननी चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह भी वहां पर पूरा तैयार करना चाहिए। इसमें स्कूल हों, होस्पीटल हों और ट्रैनिंग सैंटर्ज भी हों। इसके अलावा– फार्मर्ज को एस०ई०जैड० के अंदर –अपने फार्म हाउस बनाने

के लिए एक स्पैसिफिकेशज के तहत दो एकड़, तीन एकड़ या पाच एकड़ की जमीन भी दी जानी चाहिए ताकि वे वेजीटेबल या होटीकल्चरल की खेती कर सकें, पोल्ट्री कर सके या डेयरी का व्यवसाय कर सके। इस तरह से जो स्पोंर्स्ड हैं इससे पहले कि वे गांवों के लोगों के खेतों पर ऐस्टेबलिश हो जाएं, इनके जिम्मे बहुत सी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि यह यह इंफ्रास्ट्रक्चर वे तैयार करेगे। इसके अलावा एस०ई०जैड०के जो स्पोंर्स्ड हैं वे बाद मे उस जमीन के टुकड़ो को दुकाने बनाने के लिए या कर्मिशियल कम्पलैक्स बनाने के लिए या वैरीयस ऐक्टिविटीज के लिए जैसे इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आगे किसी को बेच न सके तो उस पर भी निगाह रखनी पड़ेगी कि वह आगे जाकर प्रोपटी डीलर का काम न शुरू कर सके। जिसकी जमीन सरकार ने ऐक्यायर की है वह फिर दोबारा से वे लोग न बेच सके तो इन बातों पर भी नियंत्रण होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो स्मॉल फार्मर्ज हैं या लैंड लैस लोग हैं उनके बच्चें को रोजगार देने के लिए, उनके अपने रोजगार देने के लिए, चाहे कमर्शियल शॉप्स हों या चाहे जो माल बनेंगे वह प्रिफरैब्ली उनको अलौट किए जाने चाहिएं, वह उनको बनाकर दिये जाने चाहिएं या फिर अगर कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाना चाहें तो उनमें इस तरह के लोगों की भी प्रिफरैन्स होनी चाहिए, इम्प्लायमैन्ट की गारन्टी भी उनके लोगो के लिए होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि उनके लिए ट्रैनिंग इंस्टीच्यूट वहां सेटअप होने चाहिए ताकि वे काम करने के लिए कैपेबल हो। इस तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोंर्स्ट के जिम्मे होगा। जो स्पौसर हैं वह उनको तैयार करना चाहिए ताकि जो लोग जिनकी जमीनो के ऊपर एस०ई०जैड० बनेगा, वे यह कहें कि हमारी तो किस्मत खुल गई है और वे सरकार को आशीष दे और

समाज का एक बेहतरीन पार्ट बनें और कंट्रीब्यूट कर सके। किसानों का और खेत मजदूरों का हित सरकार को सर्वप्रिय है और इस ऐक्ट को पूरा करते हुए भी होगा, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है।

श्री ए०सी० चौधरी (फरीदाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को मुबारकबाद दूंगा कि हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश की बिगड़ती हुई इंडस्ट्रियल हेल्थ को देखकर जो पिछली सरकार के कारनामों का नतीजा रही है यह बिल लेकर आई है। पिछली सरकार के गलत कारनामो की वजह से उद्योगपति प्रायः अपने उद्योग यहां से समेटने या बंद करने पर विवश हुए। आज हरियाणा उद्योग के तौर पर बहुत ऊंचा जा सकता था लेकिन उद्योगों के बंद होने से आज हरियाणा तबाही के कगार पर हे। सरकार बधाई की पात्र हे कि उसने इस कंसैप्ट को आगे लाकर यह अमैंडमैंट हमारे सामने रखा है। मेरा सरकार को सुझाव है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रपोजल्म/प्रारूप, ड्राफ्ट हमें टेबल पर सैशन वाले दिन मिलते हें इसलिए हमारा पूरा ध्यान उन पर नहीं जा सकता। कई अच्छे प्रपोजल्स यदि बिफोर टाईम दे दिये जाएं तो उससे हमें और भी फायदा मिल सकता है। सुरजेवाला साहब ने अपने कमैट् स में कहा कि दिल्ली के आसपास एस०ई०जैड० न हो। (विध्न) फरीदाबाद की खस्ता हालत को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि वे अपनी बात को अमैंड करेंगे और फरीदाबाद की बात को छोड़कर बाकी जगह की बात करेगे। आज मैं कुछ बातें सरकार की नॉलेज मे लाना चाहूंगा। गवर्नमैंट ने जितनी भी इसैंटिव स्कीम्स बनाईं जिनसे कि फौरेन इन्वैस्टमैंट को और बिग बिजनेस हाउसिज को अटरैक्ट करने का प्रावधान रहा, ताकि प्रदेश तरक्की करे। आम हालत में यह देखा गया कि उद्योगो के समूह ने या इंडीविजुअल उद्योगों ने जमीन ली और कुछ समय तक उद्योग चलाकर फिर बहुत बड़े प्रौफिट पर

उन जमीनो को बेचकर चले गए। सरकार की यह मंशा हो कि स्टेट को रेवेन्यू मिले और प्रदेश के अंदर लोगों की बेरोजगारी दूर करके उनको रोजगार मिल सके। वे उद्योगपति जौ पहल तो उद्योग चलाकर फायदा उठाते रहे और बाद में किसी और काम के लिए जमीन बेच दी। मैं चाहूंगा कि इस मामले में सरकार प्रतिबद्धता दिखाये कि जिनको भी एस०ई०जैड० की फैसिलिटीज मिलेगी उनके ऊपर यह प्रतिबंध भी लगाया जाए कि वे जमीनो को किसी और काम के लिए न बेच सकें। कारखाने कारखानों के तौर पर चलें न कि आगे चलकर वे शॉपिंग माल्स बन जाएं, जैसाकि आज चलन हो रहा है। इम्प्लायमैंट को इन्करेज करने के लिए साधन ढूंढने के लिए सरकार ने यह अच्छा काम किया है। मै एक बात से सरकार को आगाह करना चाहूंगा कि जब हमारा देश आजाद नहीं था उस समय विदेशों से आए माल पर हमारा देश आधारित था। आज हमारे अपने देश के भीतर ऐसी इडस्ट्रीज हैं जो विदेशी इम्पोर्टस रोककर देशी चीजे बना रही हैं। आज हमारे देश के अंदर तोप के गोले और बम के ट्राई पोट इंडिया में ही दस प्रतिशत कॉस्ट पर बन रहे हैं। मेरा कहना है कि जो इंडीजिनियस इण्डस्ट्री को इग्नोर करके उसके कपीटीटर्स को अपने यहां आकर हौंसला दिया, सहूलियते दी, वे कल चले या न चले लेकिन जो ओरिजिनली हमारे लोग यहां 20–20 साल से एस्टैब्लिशड हैं वे अगर छोड़ गए तो यह देश का बहुत बड़ा अहित होगा। इम्प्लायमैंट की लौंग टर्म फैसिलिटीज प्रि–रिक्वीजिट हो। जिस तरह से हमारे साथी ने एक शब्द में कह दिया sons of the soil यह सही है कि आज अगर हरियाणा के टोटल उद्योगो के मजदूरों की गिनती करें तो वे दस प्रतिशत हरियाणा के और 90 प्रतिशत बाहर के हैं। चाहे इस बात की परसैटेज न हो तो जिस पोस्ट की वैकेसिज हो उसके लिए यह जरूरी कर दे कि उस पोस्ट

को भरने के लिए लाजिमी तौर पर हरियाणा के किसी भी जिले का बच्चा उस पोस्ट के लिए क्वालीफाई करता हो उसको लगाया जाएगा। इस बात के लिए सारे हरियाणा में नोटिफाई कर दिया जाए ताकि कोई बाहर का आदमी इससे नाजायज फायदा न उठा सके। आज भी किसी भी काम के लिए कोई जमीन अलीट की जाती है तो उसमें यह जरूर कर दिया जाये कि कोई भी आदमी उस जमीन को लीज पर नहीं देगा, ऑनरशिप को ट्रांसफर नहीं करेगा, पार्टनरशिप की आड़ में किसी को नहीं बेचेगा। एलिनियेट करने के हर रास्ते को बन्द कर देना चाहिए। अगर इण्डीजिनियस इण्डस्ट्रीज यहां पर लगेंगी तो सरकार को टैक्स भी मिलेगा और मार्किट मे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको रोजगार भी मिल सकेगा। स्पीकर। सर, मैं हालात को देखकर यह कहने के लिए विवश हूं वरना मैं कोशिश करता हूं कि मैं बोलने –ते लिए कम ही समय लूं क्योकि फरीदाबाद की बदहाली का नमूना मेरे सामने हैं। मैं चाहूंगा कि अगर सरकार द्वारा कोई कमेटी बनाई जाती है तो उसमें इन्वायर्नमैंटलिस्ट, इण्डिस्ट्रलिस्ट तथा किसी एक्सपीरियस्ड आदमियो को उस कमेटी में शामिल करना चाहिए चाहे सरकार को इसके लिए प्राइवइट एजैंसियो को इन्वोल्व करना पड़े क्योकि वह कमेटी सरकार की आख और कान का काम करेगी। हर मामले में सरकार को आगाह करेगी और सरकार के आदेशों की अनुपालना करेगी।

श्री नरेश मलिक (हसनगढ): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सैप्रेट हाईकोर्ट के बारे में रेजोल्युशन पर आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम स्वस्थ परम्परा को कायम करेंगे। मेरे साथी कहते हैं कि चौटाला साहब की पाटी के सिर्फ 8 ही सदस्य है। फिर भी स्पीकर साहब या

तो इन्दौरा जी का नाम लेते हैं या फिर गौतम जी का। इतना बड़ा इश्यू था लेकिन उस पर बोलने के लिए मुझे आपने वंचित रखा यह बड़े खेद की बात है। (विघन)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): स्पीकर सर, मैं पूरे सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि आपका बड़ा उदार हृदय और रवैया रहा है चाहे वह गौतम जी हो चाहे नरेश जी हो, चाहे इण्डिपैंडैंट सदस्य हों, चाहे बहुजन 'समाज पाटी के सदस्य हो, इनेलो पाटी के सदस्य हों, चाहे एन०सी०पी० के सदस्य हों और चाहे दूसरी पाटी के सदस्य हैं उनको पूरा मौका बोलने के लिए दिया गया है। ये माननीय सदस्य बिल पर बोल रहे हैं मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनको बोलने का पूरा मौका दिया जाये ताकि इनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएं।

श्री नरेश मलिक: अध्यक्ष महोदय, एस०ई०जैड० के बारे में जो बिल सदन में रखा गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि यह बिल प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। स्पीकर सर, आज भी अगर हम इण्डस्ट्रीज के बारे में देखें तो हरियाणा प्रदेश से ज्यादा हिमाचल और उत्तरांचल राज्यों में इण्डस्ट्रीज लग रही हैं जहां पर इतने दुर्गम रास्ते होने के बादजूद भी कच्चा माल ढोना बहुत महंगा पड़ता है। पिछले पांच साल में एक बहुत अच्छा माहौल था जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की कई बड़ी– बड़ी इण्डस्ट्रीज को पोल्युशन फैलाने के कारण पलायन करने के आदेश दिए थे लेकिन हरियाणा की बदकिस्मती थी कि चौटाला साहब की सरकार ने इण्डस्ट्रीज को यहां आने की बजाए उनको यहा से भगाने का काम किया। स्पीकर सर, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि एस०ई०जैड० छोटे

एरिया में तो बनेगा नहीं इसके लिए तो बहुत जमीन की आवश्यकता होगी इसलिए बहुत गांवो की जमीनें इसके लिए ऐक्वायर की जायेगी। स्पीकर सर, इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए सबसे बड़ी समस्या वाटर ट्रीटमैंट प्लांट लगाने की होती है। इसलिए कई जगह मैने देखा है कि एस०ई०जैड० में अगर आप हर इण्डस्ट्री को कहें कि आप अपना वाटर ट्रीटमैंट प्लांट लगाओ। आप यह करो वह करो, फिर वही इन्सपैक्टरशाही राज रहेगा, अगर इस एस०ई०जैड० मे जब आप सारे सिस्टम डालेंगे, पाइप दबाएंगें, सीवरेज देंगे, चूंकि एक तरफ तो पानी की वैसे ही कमी है, दूसरे एस०ई०जोन में गवर्नमैंट का एक बहुत बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसमे इन्क्लयूड हो जाए तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत सुविधा रहेगी। आज पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है, जैसे वाटर हारवेस्टिंग की बात है। इससे बहुत बड़ी राहत इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए होगी। गुड़गांव में मानेसर में भी पिछली सरकार ने एस०ई०जैड० की प्रोपजल शायद केन्द्र सरकार को भेजी थी, मेरे ख्याल से अभी तक उसको स्वीकृति नहीं मिली है, इसमें मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वाटर ट्रीटमैंट प्लांट सरकार की तरफ से इसमे जरूर शामिल होना चाहिए। उस दिन माननीय वित्त मंत्री चौ० बीरेन्द्र सिंह जी मेरे साथी हैं उन्होने बहुत बढ़िया बातें कही थी कि अपने हरियाणा के गायकगण पहले घढवे फोड़ते थे, ढोलक फोड़ते थे लेकिन अब ढोलक की बजाय गोली फोड़ने लग गए हैं क्योंकि काम रहा नहीं, हमारी संस्कृति रही नहीं। आदरणीय सुरजेवाला जी ने बड़े अच्छे विचार रखे मेरे और साथियों ने भी अपने विचार रखे जो कि हकीकत है। आज कोई गांव ऐसा नहीं हैं जहां के 10– 15 बच्चों के हाथों मे बन्दूक न हो और इस काम में पिछली सरकार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यह बात मैं खासकर रोहतक जिले के बारे मे कहना चाहूंगा और आज भी ऐसी स्थितियां है,

मुख्यमंत्री शायद अपने कैबिन मे सुनते हो, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मेरे गांव सुनारिया में प्रशासन और सरकार के बीच कुछ कहा सुनी हुई, मैंने डिप्टी कमीशनर महोदय को कहा कि इस मसले को शांति से निपटाने दे मैं मुख्यमंत्री महोदय से स्वयं बात करूंगा, गांव वालों से बात करूंगा, इस मामले को राजनैतिक रंग न दें,। मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से मिला उन्होंने कहा ठीक है इसको रफा दफा करेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं हे। मैं गांव वालों से मिलकर ओर डी०सी० से मिला, मैं बाइ नेम कहूंगा कि मैं मिस्टर दन से मिला, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी बहुत शरीफ आदमी हें। चौटाला साहब जी ने इस डी०सी० को अपने साथ रखकर पांच साल तक डटकर शासन चलाया। आपके डी०सी० आज भी चौटाला कै गुण गा रहे हें। यह डी०सी० रोहतक की बात हे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी बड़े शरीफ आदमी है, यह डी०सी० रोहतक की वर्डिंग हैं। मैंने उनसे यह अनुरोध किया कि जो शरीफ है आप उनको शरीफ रहने दें। चोटाला जैसा न बनाए वरना जो हालत आज चौटाला की है कल उनकी भी होगी। उनका तात्पर्य यह था कि चौटाला की तरह सरकार चलाएं, लट्ठ बरसाए, 360 आदमियों पर उन्होंने मुकद्दमें दर्ज कर दिए। मुख्यमंत्री जी गांव–गांव से वाकिफ हैं, सुनारिया गांव के कम से कम 500 आदमियो को ये बाय नेम जानते हैं, सबको बुलाकर बात कर सकते थे, ये कोई मैटर ही नहीं था, अधिकारी इस तरह का व्यवहार रखें तो ठीक नहीं है। मेरे एक एक गांव में माननीय मंत्री सुरजेवाला जी ने बहुत पैसे दिए, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे लिखकर पत्र भी भेजा कि आपके इन इन गांवों में ये ये स्कीमें भेजी जा रही हैं। इन स्कीमों को इम्पलीमैंट करवाने मे आप साथ दें और बहुत सी स्कीमें सरकार और लाने जा रही है। मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि अगर

लोकल कंसंर्ड एम०एल०ए० से बात कर ली जाए, जो वह सरकार का इन कामो में हाथ बटाएंगें, उनका साथ देगे। हमें इस बात का दुःख नहीं बल्कि खुशी है कि सरकार आज अच्छे काम कर रही है, आज मुख्यमंत्री महोदय जी जो काम कर रहे हैं, वित्त मंत्री जी जो काम कर रहे हैं और दूसरे मंत्री जो काम कर रहे हें, सबको पता है कि कांग्रेस की सरकार है ओर ये सारे काम कांग्रेस ही कर रही है। हम सरकार का हाथ बंटा सकते हैं, सरकार को अच्छे मशविरे दे सकते हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं कराना चाहता। (विघन) मैं ज्यादा समय न लेते हुए मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे हल्के सांपला मे पीने के पानी की बहुत समस्या है, इस समस्या का भी समाधान किया जाए। बहन करतार देवी जी बैठी हें। मैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि मैं अपने यहां होस्पिटल में गया था, मैंने पहले भी बताया था, मैं एक बार फिर रात को वहां गया था, सी०एच०सी० की हालत ऐसी है कि पी०डब्ल्यू०डी० ने 100 प्रतिशत उसको कंडम कर रखा है। मेरा मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुरोध है डाक्टर्ज के रहने के लिए वहां कोई जगह नहीं है, डाक्टर रुके तो वहां कहा रुके। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां की इस समस्या का समाधान किया जाए।

श्रीमती गीता भुक्कल (कलायत, एस०सी०) अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती दह। आज हमारी सरकार जो यह हरियाणा स्पैशल इकनोमिक जोन बिल लेकर आई है इसके लिए मैं अपनी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं और इस बिल का स्वागत करती हूं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह का बिल एक बडी सोच रखने वाली सरकार और बड़ी सोच रखने वाले मुख्यमंत्री ही ला सकते हैं। मैं समझती हूं कि पिछली सरकार ने जिस

तरह की हरकतें की वे इस सदन में और सदन के बाहर भी चर्चा का विषय रही हैं। पिछली सरकार की लूट की वजह से, काली करतूतों की वजह से बहुत सी इन्डस्ट्रीज हमारे यहां से चली गई हैं। जिसके कारण हरियाणा प्रदेश की इकनोमी पर और आम जनता की इकनोमी पर असर पड़ा है। आज हमारी सरकार जो यह स्पैशल इकनोमिक जोन बिल लेकर आई है इसके माध्यम से हरियाणा मे उद्योगो को वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर एज कंटेन टाऊनशिप प्रोवाइंड किया जायेगा और अधिक से अधिक यहा इनवैस्टमैंट्स होंगा। जिससे बहुत सी ऐसी समस्याओं का समाधान निकाला जायेगा जो सांप की तरह मुंह बाए खड़ी हैं। बेरोजगारी की समस्या ऐसी समस्या है जो काले सोप की तरह मुंह बाए हुए हैं। इस समस्या को दूर किया जाना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त ब्रेन ड्रेन की समस्या की तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। हमारे जो इनटैलीजैट बच्चे हैं वे विदेशो मे काम करने के लिए चले जाते हैं। बेरोजगारी और ब्रेन ड्रेन की समस्याओ को ध्यान मे रखकर हमे अपने यहा ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा कि बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले और जो इनटैलीजैंट बच्चे हें वे यहां रहकर हमारी तरक्की में अपनी भागीदारी दें। हमारी सरकार जो यह स्पैशल इकनोमिक जोन बिल लेकर आई है इससे इन समस्याओ का समाधान अवश्य होगा। लेकिन इसके साथ–साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगी जिसके बारे में यहां अभी चर्चा भी की गई है कि ऐसा न हो कि जो अमीर जिले हैं वे और अमीर हो जाये और जो पिछड़े हुए जिले हैं वे और पिछड जायें। इस बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इरा तरफ विशेष ध्यान दिया जाये। स्पेशल इकनोमिक जोन के तहत जो अन–डिवैल्पड क्षेत्र हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाये ताकि वहां के युवको को भी रोजगार मिल सके। इस

बिल के माध्यम से जो इनवैस्टमैंट्स हरियाणा में होगी जिससे जो दायरे बढेगे उससे युवाओं को भी विशेष लाभ मिलेगा। इस बारे मे मैं कहना चाहूंगी कि पढ़ाई–लिखाई के क्षेत्र में हमारे प्रांत के जिन युवको ने तरक्की की है उनको ही परफोरमैस के हिसाब से हरियाणा के और जिले के युवको को स्पैशल इकनोमिक जोन में लगने वाले कारखानों में रोजगार दिया जाये ताकि हमारे यहां इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाये। धन्यवाद।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर (नारनौल): स्पीकर सर, आपने मुझे हरियाणा स्पैशल इकनोमिक जोन बिल पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए में आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को बधाई देता हूं कि हरियाणा सरकार एक अच्छा बिल लेकर आई है। हमारे प्रांत के विकास के लिए इस बिल में काफी सुविधाएं इन्होंने दी है। पिछली सरकार के समय में कारखानों के दरवाजों के आगे खाई खोदी जाती थी लेकिन इन्होंने कहा है कि ये सड़क बनवायेंगे। इस बात के लिए भी मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ– साथ मैं सरकार को आपके माध्यम से एक सुझाव भी देना चाहूंगा कि स्पैशल इकनोमिक जोन के लिए गांवों की जो भी जमीन एक्वायर की जाये उस समय गांवों के साथ लगती थोडी बहुत जमीन छोड़ी जाये। पहले हुडा ने भी जमीन एक्वायर की है। उस समय गांव के घरो के साथ तक की जमीन एक्वायर कर ली गई। इसलिए मेरा सुझाव है कि गांव के आसपास की थोड़ी बहुत जमीन छोड़ी जाये ताकि अगली पीढ़ी को मकान बनाने के लिए वहां जमीन बच जाये ओर उन्हे अपना गांव छोड़कर कहीं पलायन न करना पड़े। मेरा यह सुझाव स्पैशल जोन के लिए है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने किसान को जमीन की अच्छी कीमत दी है यह बहुत ही अच्छी बात है लेकिन

कॉलोनाईजर्ज की वजह से जमीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं और ऐसे कॉलोनाईजर्ज को रोकने की आवश्यकता इस स्पैशल जोन के अन्दर भी है। अपार कोई जमींदार इनसे प्लॉट ले कर स्लीपिंग पार्टनर बनता है या रि–सेल करता है तो उसको रोकने का प्रावधान भी इसके अन्दर होना चाहिए। जो जमीन ली जाए उस पर उसके बाद कारखाना लगाए न कि उस जमीन को किसी दूसरे आदमी को बेचकर उस जमीन का व्यापार ही शुरू कर दे। दूसरी बात यह हे कि जो कमेटी हम बना रहे हैं उस कमेटी के अन्दर टैक्नीकल आदमी की बात कही गई है इसके साथ ही साथ इसमे व्यापार मण्डल का भी कोई प्रतिनिधि होना चाहिए ताकि मौके पर जो बात उठती है। वह व्यक्ति उसका जवाब दे सके। इसके साथ ही साथ एक–जनप्रतिनिधि भी सरकार की तरफ से होना चाहिए ताकि अगर कमेटी के अन्दर कहीं कोई धीगामस्ती होती है वह जन–प्रतिनिधि उस पर नजर रख सके उस पर वाच रख सके। मैं डस बारेमें आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। सरसों और बाजरे की फसल सरकार खरीदती है हमारे महेन्द्रगढ़ के किसानों के लिए सरकार काफी पैसा देती है लेकिन इसके बावजूद भी फसल खरीदने के लिए केवल दो ही आदमी होते है, एक इन्सपैक्टर होता है और एक उनका जिला अधिकारी होता है। मान लीजिए एक जिले के अन्दर एक हजार क्विंटल सरसों पैदा हुई तो पांच–पांच हजार क्विटल सरसों वहां पर खरीदी गई लेकिन इसके बावजूद भी सरकार पर यह आरोप लगता है कि सरकार ने पूरी सरसो नहीं खरीदी। इसलिए इस तरह की अराजकता है और उसको रोकने के लिए यह हो सकता है 'कि जन– प्रतिनिधि इस बात को देखे और वह सारी बात सरकार तक पहुंचाएं ताकि इस प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सके। इसके साथ ही जो इक्नोमिक जोन बनाने जा रहे हैं

उसके बारे में एक सीमा के बारे मे सोचा जा रहा है वह शायद बिलासपुर से आगे नहीं बनता है। उद्योग मन्त्री जी से हमने पहले भी निवेदन किया था और अब भी निवेदन करते हैं कि इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए 40 हजार एकड़ जमीन यहां पर खरदीने का प्रावधान किया जा रहा है। तो इसके साथ ही उस इण्डस्ट्री की सहायक इण्डस्ट्री लगाई जानी चाहिए। जी०टी० रोड नैशनल हाईवे नम्बर 8 महेन्द्रगढ़ से दिल्ली जा रहा है और हमारा इलाका इस रोड से केवल आठ किलोमीटर की दूरी पर हे। हमारे यहां पर जमीन मे मीठा पानी भी है। अब आप यह कहेंगे कि कुछ दिन पहले तो मैं वहां पर पानी की कमी बता रहा था लेकिन मेरा निवेदन यह है कि उस इलाके के बारे में कुछ सोचना होगा और महेन्द्रगढ़ जिले की जो टोपोग्राफी है उसको समझना होगा। वहां पर कई जगहों पर तो पानी ऊंचा है और कहीं पर पानी नीचा है इसके साथ ही साथ वहां पर मीठा पानी कहीं कहीं पर 1400 फुट गहरा है और कहीं पर पानी खारा भी है इसको डिवाईड करना पड़ेगा। जो जमीन अटेली के पास शेखो गढ़ाना से होते नांगल चोधरी सड़क के पास पडती है, यह सड़क मेरे गांव तक और राजस्थान बॉर्डर तक जा रही है यह सारी की सारी लाईन मीठे पानी की लाईन है। यहां पर पानी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है और ज्यादा निचाई पर नहीं है, पानी उंचाई पर ही है। सरकार यमुना नदी के पानी को वहां पर पहुंचा कर रिचार्जिग की जो स्कीम बना रही है अगर वह स्कीम कामयाब होती है तो उस इलाके के अन्दर इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए मीठे पानी की कोई कमी नहीं है। इसलिए इस जोन को भी थोड़ा डिवैल्प किया जाए। सबसे पहले जोन के साथ–साथ एक सहायक स्पैशल जोन क्रिऐट करके उन लोगों को भी यह महसूस करवाया जाए कि इस जनकल्याणकारी सरकार के अन्दर जो वायदा हमारे माननीय मुख्य मन्त्री

चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने किया है इस इलाके के लोगों को भी इस जनकल्याणकारी सरकार होने का कुछ लाभ मिल सके। यह बात मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मन्त्री जी से और सदन के नेता माननीय मुख्य मन्त्री जी को कहना चाहता हूं जिससे सारे हरियाणा की जनता यह महसूस करे कि राज हमारा है और राज्य सरकार हमारा भी भला चाहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से फिर से इस बिल का समर्थन करता हूं तथा सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद।

राव दान सिंह (महेन्द्रगढ): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं जिनके विजनरी होने के प्रतीक के रूप में एक ऐतिहासिक एस०ई०जैड० बनाने का एम०ओ०यू० साईन किया गया। अध्यक्ष महोदय आज तक हरियाणा की पहचान मात्र कृषि से रही है और इसे कृषक प्रदेश के नाम से ही जाना जाता रहा है क्योंकि यहां के 75 प्रतिशत लोगों की आजीविका कृषि पर ही निर्भर करती है। आमतौर पर हरियाणा की ऐग्रीकल्चर के लिए यह कहा जाता हे कि there is no culture except agriculture in Haryana.लेकिन जब से चौ० भूपेन्द्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने इस प्रदेश का चहुमुखी विकास तेजी से करने के प्रयास किये हैं। आज इसी का परिणाम हम सबको देखने को मिल रहा है। हम उनको इस बात के लिए बधाई देते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक समय था जब हरियाणा से उद्योग पलायन करने के लिए तत्पर रहते थे और सरकार की नीतियों के विरोध की वजह से ऐसा होता था। आज चारों तरफ से विनिवेश के प्रोपोजल हमारे पास आये हुए हैं। इसी संदर्भ में मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जब वे लोग विनिवेश

के लिए यहां पर आते हैं तो सबसे पहली चीज वे इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। आज गुडगांव में जो तरक्की हो रही है उसके दो कारण रहे हैं एक तो being in close of proximity of Delhi और दूसरा कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का डिवैल्पमैंट। मैं आपसे एक बात का निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र महेन्द्रगढ शुरू से ही उपेक्षित रहा है। हैडक्वार्टर महेन्द्रगढ़ ऐट नारनोल डिस्ट्रिक्ट यानी नाम के साथ भी एक तरह से भेदभाव रहा हे। साथ ही आज जब हम उद्योगों की बात करते हैं तो यह कहा जाता है कि आप तो पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं। मैं कहता हूं कि जैसे अब एक स्वस्थ परम्परा हाउस के अंदर शुरू हो गयी है तो उस पिछड़े क्षेत्र को भी आगे लाने के लिए परम्पराएं शुरू की जानी चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि हमारे क्षेत्र से लगता हुआ राजस्थान का नीमराणा एक क्षेत्र है जिसको राजस्थान सरकार ने औद्योगिक रूप से और नम्बर वन मार्डन सिटी ऑफ दि स्टेट बनाने के लिए अभी भी काम शुरू किया हुआ हे। हमारा क्षेत्र भी उसी के साथ लगता हुआ है। जब कनेक्टिविटी मिलती है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलता है तो गाड़ी में बैठकर कोई भी उद्योगपति बीस किलोमीटर फालतू चलने से गुरेज नहीं करता। अगर दो किलोमीटर रास्ता खराब है और बीस किलोमीटर का अच्छा रास्ता है तो वह बीस किलोमीटर को अडाप्ट करता है। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि जो एन०एच० 8 हमारे यहां से जाता है उसका जो शाहजहांपुर बोर्ड जसीमपुरखेड़ा के साथ हमारा बोर्डर लगता है वहां से एक नया रोड देकर महेन्द्रगढ़ तक उस लाईन को लेकर हिसार और जयपुर को जोड़ने वाला जो रास्ता है, उससे मिलाया जाए ताकि फोरलेन के बाद में ओद्योगिक रूप से विकसित होने के लिए आपके पास नारनौल, महेन्द्रगढ़, अटेली, कनीना का बहुत बड़ा क्षेत्र होगा। इसको अगर साथ ही कोसली से

और झज्जर से होकर दिल्ली से जोड़ दिया जाए तो जैसे एक टूरिज्म केन्द्र एक गोल्डन ट्रांयग्ल के नाम से आगरा, दिल्ली और जयपुर जाना जाता है वैसे ही यह भी जाना जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज जो भी सैलानी हिन्दुस्तान के अंदर आता है वह इन तीनों जगहो को देखना अवश्य पसन्द करता है। मैं यह निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जिस दिन इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आप वहां पर दे देंगे तो जो उसके बाद उद्योगपति आएगा उसकी सबसे पहली च्वायस इसी इलाके मे उद्योग लगाने की होगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे लोगों की आजीविका भी बढेगी और इससे हमारे बेरोजगार लोगों की समस्या का भी समाधान होगा। आज जो हम खाली कृषि पर ही निर्भर करते हैं तो इससे हमारे चहुमुखी विकास मे भी हमारे उद्योगों का सराहनीय योगदान होगा। सर, यही मेरा एक सुझाव था।

Mr. Speaker: Now, the Hon'ble Minister will reply.

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, आज जो दि हरियाणा स्पैशल इकोनोमिक जोन बिल, 2005 हाउस में लाया गया है यह औद्योगिक क्रान्ति के एक नये युग की शुरूआत, एक नये युग का सुत्रपात हरियाणा प्रान्त में करेगा। माननीय सदस्य ए०सी० चौधरी ने और भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी भाई नरेश जी ने भी सही कहा था कि एक समय ऐसा भी था जब हरियाणा से उद्योग पलायन कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 वर्षो में हमने एक ऐसी सरकार भी देखी जिसके तत्कालीन मुख्यमत्री को अगर उद्योगपति उनके निवास पर जाकर एक निश्चित राशि देकर नहीं आते थे तो उनके घरों के आगे, उनकी फैक्ट्रियों के आगे जे०सी०बी० मशीनों से गढ्ढे खुदवा दिए जाते थे। लेकिन अब एक नयी शुरुआत चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और अब हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी ने

की है। उद्योग मंत्री ने इस बिल की रूपरेखा तैयार की हे। कई सदस्यों ने अपने–अपने सुझाव इस बिल पर दिए हैं। माननीय सदस्य कर्ण सिंह दलाल जी ने अमैनिटीज की चर्चा करते हुए यह शक जाहिर किया कि जब एस०ई०जैड० बनेगा तो किस प्रकार की अमैनिटिज वहां पर उस व्यक्ति के द्वारा जो एस०ई०जैड० बनाएगा, मुहैया करवायी जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस बिल की सैक्शन 8 (1) और 8(2) ए की तरफ आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि हम इरा बात के लिए सचेत हैं कि जो भी इकोनोमिक जोन आए तो वहा पर पूरी अमैनिटीज का प्रोविजन किया जाए। इस बिल की क्लॉज 3(1) में लिखा हुआ है

"Subject to the provisions of this Act, the Developer shall have the duty to secure planned development of the Special Economic Zone and provide for the establishment, construction, installation, operation, maintenance and management of the infrastructure and amenities in the Zone".

Speaker Sir, the word 'shall' is here. और अमेनिटीज क्या हैं, वह सारी डिफाइन की हुई हैं। माननीय सदस्य ने पढ़ा। स्पीकर सर, 8(2)–ए के अंदर जितने भी रूल्स एंड रैगुलेशंस हैं उनकी कंप्लायंस भी आवश्यक हैं मैं इस पर माननीय सदस्य और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। In Clause 8(2), it is mentioned—

"(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (1), the Developer shall exercise and perform the following powers and functions, namely:-

(a) to prepare the development plan of the Special Economic Zone in conformity with the rules framed under this Act or adhered to by the Developer under Sub-Section (3) or as may be adopted by the Govenment under sub-section (4) of Section 17 and to implement such

plan after obtaining the approval of the Approval Committee."

और सैक्शन 17(3) के अंदर यह रिक्वायरमैंट है कि जहां कहीं विशेष आर्थिक जोन कंट्रोल्ड एरियाज में एप्रुव्ड किया जाता है, पंजाब शिडयूलड रोड्स तथा कंट्रोल एरियाज में अनियमित विकास निर्बन्धन एक्ट, 1963 के अधीन बनाए गए भवन नियमो के उपबंधो का पालन करने के लिए विकासक को निर्देश कर सकती है। इस बात से माननीय सदस्य भी और माननीय सदन भी बिलकुल आश्वस्त रहे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी अमेनिटीज, जो बिल मे हैं, नहीं देगा वह स्पैशल इकोनोमिक जोन नहीं बना सकेगा। माननीय सदस्य ने इन्वायर्नमैंट ईशंज की चर्चा की स्पीकर सर, मैं बताना चाहूंगा कि यह बिल भी केन्द्रीय बिल की तर्ज पर बनाया है। जो केन्द्रीय बिल है प्राइमरी एप्रूवल उसके अंदर एस०ई०जैड० की दी जाती है वह हम नहीं देते हैं, इन्वायर्नमैंट सैक्रेट्री एप्रूवल देते हुए सदस्य हैं। माननीय सदस्य यदि इस बारे मे 4ए ई देखे इसमें सैक्रेट्री इन्वायर्नमैंट को सदस्य बनाया है जहां तक एक्सपर्ट्स का सवाल है, एक्सपटर्स को हमेशा दोनों कमेटीज के द्वारा कंसल्ट किया जा सकता है लेकिन भारत सरकार मूलभूत एप्रूवल देती है। मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान ने वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम की चर्चा की। उष्णके लिए अलग से एक कानून का मसौदा सरकार तैयार करने मे लगी हुई है इससे माननीय सदस्य की जो शिकायत है वह दूर हो जाएगी। स्पीकर सर, चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने बैकवर्ड एरियाज में इकोनोमिक जोन खोलने की बात की। स्पीकर सर, जैसाकि आपको भी मालूम है कि उसके लिए केन्द्र सरकार इनकी प्रिंसिपल अप्रूवल देती है। एक एप्रूवल केन्द्र सरकार ने मेवात के इलाके के लिए दी है। वह एप्रूवल एस०आर०एम० इन्फ्रास्ट्रस्चर प्राइवेट लिमिटेड को दी है। तकरीबन 500

करोड़ रुपये की राशि दक्षिणी हरियाणा के पिछड़े इलाके के अदर इसके माध्यम से आने की आशा है, प्रोवाइडेड हमारी जो कमेटीज हैं उसको एप्रूवल दें कि वह व्यक्ति जिसको इन प्रिंसिपल एप्रूवल मिली है वह सारी रिक्वायरमैंट को पूरा करे। माननीय सदस्य श्री ए०सी० चौधरी ने फरीदाबाद की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा, वे अब तो सदन में नहीं हैं। मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने आई०टी०, एस०ई०जैड० की इन प्रिंसिपल एप्रूवल दे दी है। मेसर्ज हरियाणा टैक्नोलॉजी पार्क को, ऐसी आशा है कि अगर वे सारी शर्तों को पूरा करेंगे, हमारी कमेटीज से एप्रूवल ले लेंगे तो 1200 करोड़ रुपये का निवेश उसके माध्यम से अकेले फरीदाबाद जिले के लिए आएगा। श्री नरेश मलिक ने हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल प्रदेश की बात कही और खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया कि एक ऐसी सरकार थी जो सड़को और फैक्ट्रियों के आगे गढ्ढे खुदवा देती थी तो किस प्रकार से यहां उद्योग धंधे आते। हिमाचल और उत्तरांचल तो हिली स्टेट्स हैं उनको केन्द्र ने स्पैशल इकोनोमिक जोन पैकेज और कसैशन दिया है जो इस प्रप्त में तो नहीं हे। जहां तक आपने सीवरेज आदि की बात की है कि सरकार इनको मुहैया करवाए। मैं माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहूंगा कि सड़कों, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सीवरेज की पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जो एस०ई०जेड० बनाएगा, तभी उसको एस०ई०जेड० की अनुमति दी जाएगी, उसके बगैर अनुमति नहीं दी जाएगी। पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। इस बात के लिए माननीय सदस्य बिलकुल आश्वस्त रहें। कई सुझाव माननीय सदस्या गीता भुक्कल, माननीय सदस्य श्री राधेश्याम शर्मा और राव दान सिंह ने दिए, वह हमने नोट किए हैं और उन पर हम अवश्य गौर करेंगे। स्पीकर साहब, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि निर्यात के युग के अंदर हरियाणा

का एक विशेष योगदान रहेगा। हिन्दुस्तान से जो निर्यात होगा वह स्पैशल इकोनोमिक जोन बिल, 2005 के माध्यम से होगा। आज तक दस एप्रूवल इन प्रिंसिपल मिली हैं जिनमें से एक हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डिवैलपमैट कार्पोरेशन को मिली है और 9 अन्य हैं जो हमारे पास आई हैं और वे विचाराधीन हैं, उनको प्रोसेस करेंगे और जहां तक रोजगार के सृजन की बात है जो कि मुख्यमंत्री और सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की प्राथमिकता है हरियाणा में निवेश को लेकर आना। ये दोनों स्वप्न सरकार के ओर मुख्यमंत्री जी के ओर कांग्रेस पार्टी के हम साकार करेगे और जिन इलाकों के अन्दर एस०ई०जैड० लगेगा उसमें हमारा यह प्रयास रहेगा। मैं वायदा तो नहीं करता लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्थानीय व्यक्तियों को उनके अन्दर रोजगार के माध्यम से मौका दिया जाए ताकि पूरे हरियाणा प्रान्त के लोगों को सामूहिक प्रगति का अवसर मिलेगा। इसके साथ ने आपसे और आपके माध्यम से पूरे सदन से यह अनुरोध करूंगा कि इस बिल को पारित कर दिया जाये।

17.00 बजे

श्री एस०एस० सुरजेवालाः स्पीकर सर, मेरी एक आपत्ति है कि मैंने बोलते हुए जो यह कहा था इण्डस्ट्रीज बैकवर्ड एरिया में लगनी चाहिए वह एक वाईटल इश्यू था। वह यह था कि जो किसान, खेत मजदूर गरीब ओर छोटे किसान लोग हे उनके लिए क्या–क्या प्रावधान होगा। उनकी रिहायश के लिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके बच्चों को एख्सायेबल बनाने के लिए, उनको वहां रहने के लिए, उनको वहां रखने के लिए उनका पूरा डिवैल्पमेट करना चाहिए और उनको जिन्दगी का पार्ट बनाना चाहिए ताकि वे

एक अच्छे नागरिक बन सकें। नहीं तो वे अपराधी बनेंगे उसके बारे में मन्त्री जी ने कोई रिसपाँस नहीं दिया।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Special Economic Zone Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub--Clause 2 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 3 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clause 3 of the Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 19

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 to 19 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री एस०एस० सुरजेवालाः स्पीकर सर, मेरी इन बातों का जवाब नहीं दिया उसके लिए जनता में एक मैसेज जायेगा कि सरकार इसको करना ही नहीं चाहती। इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है कि इस बारे में बताया जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार ने एक क्रान्तिकारी नीति भूमि अधिग्रहण की बनाई थी। यह सही बात है कि पिछले छः वषी में 20000/— 10000/— और 40000/— रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदकर भूमि का अधिग्रहण किया गया। स्पीकर सर, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार का गठन होते ही पहला कदम यह था कि जो भूमि अधिग्रहण की नीति पिछली सरकार ने बनाई है उसको बदलने का काम किया था। स्पीकर सर, इस नीति की चर्चा सदन में माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री मण्डल के सदस्यों द्वारा कई बार की जा चुकी है और हमने आश्वस्त किया है कि दिल्ली और चण्डीगढ़ की पैरीफेरी की जो जमीन एक्वायर की गई है उन किसानो को 17 — 13 लाख रुपये प्रति एकड के हिसाब से मुआवजा मिलेगा और जो आम जमीन है उसका मुआवजा भी 5 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फिक्स किया

गया है लेकिन सोलोशिएम और अतिरिक्त ब्याज को लगाकर उस जमीन का भी 7 –8 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिल जायेगा। स्पीकर सर, मैं दावे के साथ और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि जो हमारे पड़ोसी प्रान्तो के अन्दर सारे प्रान्त मे दिल्ली की जमीन के बराबर मुआवजा देने का साहस चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने दिखाया है और इससे 600 करोड रुपया एक्सप्रेस हाईवे के कम्पैंसेशन का भी बढ़ा है हमने वह कड़वी गोली भी खाई है इसलिए कि हरियाणा के किसानो की जमीन एक्वायर की गई है और उन किसानो को उनकी जमीन का पूरा मुआवजा मिला है। जब भी किसी भी प्रान्त की तरक्की होगी, भाखड़ा बांध पंडित जी ने बनवाया था, आप सभी उसमें विटनेस थे, सुरजेवाला जी भी विटनैस थे। बहुत सारे लोगों को अपनी जमीन से मरहूम होना पड़ा था। अध्यक्ष महोदय, स्पैशल इक्नोमिक जोन का बहुत बडा प्रोजैक्ट है जिसमें शायद काफी भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी जो प्रोजैक्ट्स हमारे पास हैं, एक तो एच०एस०आई०डी०सी० का है जो तकरीबन 3000 एकड़ का है, रिलांयस से अभी हमारी चर्चा चल रही है, मैमोरैण्डम आफ अडरस्टैण्डिंग हुआ है वह कितने हजार एकड़ मे बनेगा यह निश्चित होना अभी बाकी है, बाकी सब प्रोजैक्ट केवल सैकड़ों एकड़ भूमि के अंदर हैं। अध्यक्ष महोदय, किसानो को उचित मुआवजा देंगे। यह भी कोशिश करेंगे कि स्थानीय लोगो को इसमें समायोजित करने का प्रयास करे और मैं माननीय सदस्य को और पूरे सदन को आश्वासन देता हूं उनको पूरा मुआवजा दिया जाएगा।

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2005

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जो हरियाणा म्यूनिसिपल (सैकेंड अमेंडमेंट) बिल लेकर आए हैं मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं इस बारे में दो तीन बातें कहना चाहता हूं। इस प्रकार का संशोधन ग्रामीण पंचायत ऐक्ट में भी वाजिब है क्योंकि दूरसंचार विभाग मे जो क्राति आई है, इस सिस्टम के अन्दर मोबाइल फोन आए हैं, लैंड लाइन फोन आए हैं, टैलीविजन के चौनल्स आए हैं, इन सबकी जरूरत देहात में भी यूं ही है। आज सारे प्रदेश मे हालत यह है कि हर शहर में कुछ लोगों ने चौनल्स चलाने के लिए अपने गैंग बना रखे हैं और उनका आपस में भारी झगड़ा होता है और वे लाखो रुपये कमाते हैं, शहरों की हालत बहुत बुरी है लेकिन व्यक्ति विशेष की जेबे गरम हो रही हैं। कोई भी हरियाणा का शहर ऐसा नहीं जिसकी हालत आज ठीक हो क्योकि शहरों को पिछले 5 सालों में बुरी तरह नैगलैक्ट किया गया है। मैं सरकार को, मुख्यमंत्री महोदय को और सार' मंत्रियो को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने

शहरो की दशा सुधारने के लिए यह मामला टेक अप किया। मंत्री जी मेरे सामने बैठे हैं मैं इनको कहना चाहूंगा कि शहरों मे हाउस टैक्स खत्म कर दिया जाए क्योकि उससे गरीब आदमी बहुत तंग हे उसके ऐवज मे जो इस किस्म के सिस्टम हैं, जो चौनल्स हम स्थापित करना चाहते हैं उनपर टैक्स लगा दिया जाए। जो अमैडमैंट की जरूरत पड़ी हालांकि 2001 में टावर लगाने के लिए नीति बनाई गई थी, पिछली सरकार ने 4 साल बरबाद कर दिए, सरकार ने इस बात पर सोचने की जहमत नहीं उठाई कि तुमने नीति तो बना दी है लेकिन इसको इम्पलीमेंट कैसे करोगे उसके लिए बॉय लाज नहीं बनाए। हमारी सरकार के मंत्री जी बैठे हैं, बड़े समझदार हैं, इन्होंने यह सोचकर कि इसको इम्पलीमैंट कैसे करे इसके लिए बॉय लाज बनाने के अधिकार दिए और एल०आर० से इस बारे में सुझाव मांगे। एल०आर० ने जब सुझाव दिए कि आप ये काम नहीं कर सकते, इस नीति को इम्पलीमैंट नही कर सकते तब जाकर इस अमैंडमैंट की बात आई। इसलिए मेरा सरकार को सुझाव है कि गैंगस्टर्ज को खत्म किया जाए और नगर पालिकाओं की इन्कम को बढ़ाया जाए ताकि शहरो के अन्दर जो मूलभूत सुविधाए हें वे ज्यादा से ज्यादा दी जाएं। अब मैं गोहाना शहर की बात करना चाहता हूं मैं सुबह प्रश्न काल में 'मी कहना चाहता था लेकिन प्रश्न काल खत्म हो गया, विपक्ष के भाइयों की मेहरबानी हुई कि उन्होंने हाउस चलने नहीं दिया। में सिर्फ गोहाना की बात नहीं करता, मैं सभी शहरो की बात करना चाहता हूं, गोहाना से चारों तरफ सड़कें जाती हैं और गोहाना असलियत में हरियाणा स्टेट का सैंटर है अगर जरीब रखकर नाप लें तो हरियाणा का बीच या तो गोहाना है या किलोई है और कोई नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना हे कि गोहाना से एक सड़क जींद की तरफ जाती हे, एक सड़क जुलाना की तरफ जाती है१ एक

सड़क रोहतक को जाती है, एक सड़क सोनीपत को जाती है, एक सड़क पानीपत को जाती है और एक सड़क सफीदों को जाती है। और आगे जींद को भी सड़क जाती है। (विघ्न) बंद कहीं नहीं होती आगे बार्डर तक जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस ऐक्ट के अंदर यह प्रावधान होने के बाद बाकायदा इसका प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाये कि जो केबल आप्रेटर टी०वी० के प्राईवेट चेनल दिखाते हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। वे लोग जगह जगह अपने डंडे गाडकर 10– 10 कि०मी० तक केबल की तारे ले जाते हैं। इससे दुर्घटना होने का भी खतरा रहता है। गांवों देन अंदर भी इस तरह के केबल आप्रेटर के टी०वी० के चौनल चल रहे हैं जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सब के सब इल–लीगल चल रहे हें। इसलिए ग्राम पंचायत एक्ट में भी इस तरह का प्रावधान होना चाहिए। ऐसा करने से सरकार को इंकम भी होगी ओर चौनल गैंग भी खत्म होंगे और ऐसा होने से गुंडागदी भी किसी प्रकार की नहीं रहेगी। अध्यक्ष महोदय, इस सिस्टम को चलते हुए बहुत साल हो गए हैं लेकिन इसको पहले रोकने के लिए किसी ने कोई सिस्टम नहीं बनाया। अब इसको रोकने के लिए एक अच्छा सिस्टम बनाना बहुत जरूरी हो गया है। इसके अतिरिक्त में यह भी कहना चाहता हूं कि जो केबल आप्रेटर चौनल दिखाते हैं वे केबल की तारे बिछाते समय सड़कों को भी तोड़ते हैं। कभी बिजली वाले, कभी टैलीफोन वाले और कभी केबल लगाने वाले सड़कें तोड़ देते हैं। इसलिए इन सभी विभागो के बीच आपस में को–आर्डिनेशन होना चाहिए ताकि सारा सिस्टम ठीक चले इससे 'सरकार का पैसा भी कम खर्च होगा, इंकम अधिक होगी और लोगों को अच्छी सुविधाएं भी मिलेगी। यही बात मैं कहना चाहता था। धन्यवाद।

श्री ए०सी० चौधरी (फरीदाबाद): स्पीकर सर, जो अमैंडमैंट लाई गई है यह वक्त की जरूरत है लेकिन दोतीन बातें मैं इस बारे मे आपके मन्–फ्लू से सरकार की नॉलेज मे जरूर लाना चाहूंगा। एक तो जितनी भी ये एजैंसीज हैं जो केबल डाल रही हैं या बाकी काम कर रही हैं वे सड़के तोड़ती हैं और उससे पहले वे रूल्ज के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटीज मे पैसा भी जमा करवाती हैं। लेकिन आज तक इतिहास इस बात की साक्षी है कि पैसा जमा नहीं हुआ। पैसा जमा होता तो अलग बात है लेकिन जहां पैसा जमा भी हुआ है वहां खुदाई की हुई सड़कों की मुरम्मत कभी नहीं हुई। इसका नतीजा यह निकलता है कि लोगो को बेवजह असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस बारे मे मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि केबल वगैरह डालने के लिए जहा भी खुदाई की जाए उसकी मुरम्मत एक टाईम फ्रेम मे होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारी सरकार में लोग कम विश्वास करेगे। दूसरी बात मैं म्यूनिसिपल कमेटीज के रूल्ज और बायलाज के बारे में कहना चाहूंगा कि जितनी भी नई कमेटीज और कारपोरेशन बनी हैं आज एक ऐक्ट के तहत उनकी जितनी भी रिक्विजिट हैं कि रूल्स बने, बायलाज बनें, नहीं बने हैं। बहुत सी कारपोरेशंज को तो बने हुए पांच–पांच, दस–दस साल हो गए हैं जिनके अभी तक न रूल बनें हैं और न बायलाज बने हैं। इतना ही नहीं बहुत सी जगह पर तो बजट भी नहीं बना और पांच साल तक कर्मचारियो को ऐसे ही तनख्वाह दी गई है ओर कोई चौक करने वाला नहीं है। इसलिए में कहना चाहता हूं कि अब कोई ऐसा सिस्टम बनाये कि जो जनहित के काम हैं उनको तेजी मिले, गति मिले और ठीक तरह से वे कार्य संपन्न हों ताकि लोगों से सरकार को

प्रशसा मिले और लोगों को आम सुविधाएं सरकार दे पाये। अध्यक्ष महोदय, यही दो बाते मैं कहना चाहता था। धन्यवाद।

प्रो० छत्तर पाल सिंह (घिराय): स्पीकर सर, यह बात ठीक है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र पूरा देहात से ताल्लुक रखता है लेकिन मेरी रिहायश अर्बन एरिया में भी है। वहां पर मैं पढ़ा हूं, बडा हुआ हूं। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री को मेरे खडे होते ही इस पर शायद एतराज हुआ हो और मेरी तरफ मुंह करके कहने लगे कि आपका शहर से क्या ताल्लुक है। अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री के पिता श्री और इस सदन के सदस्य चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने देहात से मुत्तलिक चिंताएं जाहिर की थी उस समय उस बिल पर मै भी बोलना चाहता था और मेरी चिंता उनसे जुड़ी हुई थी। अध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा गरिमाओं की मास्टर है। आपने अपोजिशन पार्टी के बारे में बड़ी ऐहतियात बरती। आदरणीय मुख्य मन्त्री जी भी इस मामले मे बड़े सवेदनशील हूँ। देहात ओर शहरों के बारे मे पूरी संवेदनाओं के साथ संसदीय सेसटिचिटी के अन्दर भी ऐहतियात बरती जाए। देहात को एम०सी० ऐरियाज में कन्वर्ट करने का बहुत बड़ा फैसला है जिसमे इक्नामिक जोन की चर्चा की गई है। म्यूनिसिपल ऐक्ट मे तरमीम करने की बात जो आप कह रहे हैं इसमे मैं यह कहना चाहता हूं कि म्यूनिसिपल लिमिट्स बढ़ती भी रहती है और उनके साथ नजदीक के देहात जुड़ते रहते हें लेकिन यह इक्नोमिक जोन विशेषतौर पर प्रदेश के अन्दर बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगा। शहरों के अन्दर हरियाणा के देहात का व्यक्ति भी रहता है। जिस प्रकार से हम तरक्की कर रहे हैं और ऐसे फैसले ले रहे हैं, हमारा छोटा सा प्रान्त है, उससे जल्दी ही ईस राज्य का अर्बनाईजेशन भी हो जाएगा। उन्होंने इसमे दो चीजे प्यायंट आउट की थी एक तो सरकार उन

ऐरियाज की तरफ आगे बढ़ सकती है जो कि पिछड़े हुए इलाके हैं और दूसरे ऐसे इलाके हैं जो ऑलरैडी डिवैल्पड इलाके हैं। जो रिमोट ऐरियाज हैं जहां पर फैसिलिटीज नहीं हैं वहां पर लैण्ड के रेट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं इसके बावजूद भी मन्त्री महोदय का जवाब तसल्लीबख्श नहीं होता। स्पीकर साहब, जो वातावरण होता है उसको भी आप अच्छी तरह से समझते हैं कि सदस्यों ने जो बातें उठाई उनके स्पष्ट जवाब नहीं आए उसके बावजूद भै। आप मैटर को जम्प करवा देते हैं। स्पीकर साहब, जब आप इतनी सवेदनाओ के साथ काम कर रहे हें और इस हाऊस को चला रहे हैं। आप स्टेट की डिवैल्पमैंट के लिए भी चिन्तित हैं तो मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि सदस्यो द्वारा जो भी चिन्ता जाहिर की जाती है सरकार उस पर ध्यान दे। सरकार जो बिल लेकर आई है उसको पास तो करना ही करना है। सरकार अच्छी मन्शा से यह बिल लेकर आई है सरकार इस बिल को पास भी करवाएगी। (विघ्न)

Mr. Speaker: Are you discussing me on the Bill ?

Prof. Chhattar Pal Singh: I am discussing on the Bill, Sir.

प्रो० छत्तर पाल सिंहः सर, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की जो परियोजना है इसमे देहात के बच्चों को शिक्षित करना बहुत अनिवार्य है क्योकि आप उनके कल्चर तथा प्रोफैशन को चेज कर रहे है। यदि सरकार इस बात पर इम्फेसाईज करे और उनको टैक्नीकली इतना ट्रेड कर दें कि आप जो परियोजनाएं लेकर आ रहे हैं उसके लिए आवश्यक मैनपावर उन्हीं में से प्राप्त हो जाए। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जितनी भी मैनपावर की जरूरत है वह हरियाणा में से ही ली जाए। आप जो बिल लेकर आ रहे हैं इससे जो परिवर्तन होने चाहिए उसमें हमारी टोटल कन्जम्पशन हो और इसमें

मैनपावर हरियाणा के लोगो की ही यूज हो। इसी दिशा के अन्दर मेरा सुजैशन था। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इससे रैलेवैन्ट जवाब दें। धन्यवाद सर।

डा० शिव शंकर भारद्वाज (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस म्यूनिसिपल अमैंडमैंट बिल में सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि म्यूनिसिपल कमेटीज की वित्तीय स्थिति का जरूर ध्यान रखा जाए। हरियाणा मे बहुत सी ऐसी म्यूनिसिपल कमेटीज हैं जिनकी वित्तीय हालत बहुत कमजोर हैं। जैसे भिवानी की म्यूनिसिपल कमेटी है वहां की हालत यह है कि कर्मचारियों को दो– दो, तीन–तीन महीनो तक वेतन भी नहीं दिया जाता। सुरजेवाला जी ने भी इस बारे में बिलकुल ठीक कहा था। मेरे क्षेत्र में जैसे 41 कालोनीज पास हो गयी हैं लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर सड़को बिजली और पानी की कोई सुविधा नहीं है। में आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से और मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन म्यूनिसिपल कमेटीज की फाईनेशियल कंडीशन बहुत कमजोर है उनको विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। भिवानी की म्यूनिसिपल कमेटी भी ऐसी ही एक कमेटी है इसलिए वहां के लिए भी विशेष पैकेज देने की मांग मैं सरकार से करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अमीर चन्द मक्कड (हांसी): अध्यक्ष महोदय, आपका मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय देने के लिए धन्यवाद। मंत्री जी ने जो यह बिल पेश किया है मैं उसका स्वागत करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से हरियाणा को नम्बर वन स्टेट बनाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है तो जब तक शहरों की सफाई नहीं होगी और जब तक शहरो के अंदर पूरी सहूलियते नहीं दी जाएंगी तब तक मैं समझता हूं कि हमारा यह

काम अधूरा ही रहेगा। मैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि वे इस बारे में बड़ी कोशिश कर रहे हैं। वे पिछले दिनो हरियाणा मे इंडस्ट्रीज लगाने के लिए विदेशों में भी जाकर बड़े–बड़े उद्योगपतियों को इन्वाईट करके आये हैं और वहां से लोग अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए यहां पर आ के रहै हैं। मैं अपने हांसी शहर के बारे मे प्रार्थना करना चाहूंगा कि पहले वहां पर एक स्पीनिंग मिल लगी हुई थी। उस मिल से म्यूनिसिपल कमेटी को भी बडी आमदनी होती थी लेकिन पिछली सरकार ने उस मिल को बंद करके हजारों मुलाजिमो को बेकार कर दिया और साथ ही ऐसा होने की वजह से वहां की म्यूनिसिपल कमेटी की आमदनी भी घट गयी। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हासी में बड़ी–बडी इंडस्ट्रीज लगायी जाएं ताकि वहां की कमेटी की आमदनी बड़े। जब तक म्यूनिसिपल कमेटी की आमदनी नहीं बढ़ेगी तब तक कोई भी शहर तरक्की नहीं कर सकता। आज उनकी हालत यह है कि कर्मचारियों की तनख्वाहें भी पूरी नहीं दी जा रही है। जैसे हाउस टैक्स है या दूसरे टैक्स है जिनके बारे में मलिक साहब ने भी बताया कि हाउस टैक्स गरीब आदमी नहीं दे सकते। हाउस टैक्स दत्त–दरर सालों से उनकी तरफ बकाया पड़ा हुआ है। लेकिन वे मजदूर हैं क्योकि उनके पास यह टैक्स देने के लिए साधन नहीं है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि सरकार को कोई न कोई प्रावधान जरूर करना चाहिए ताकि गरीबों को कुछ सहूलियतें मिले। वे लोग यह टेक्स नहीं भर सकते। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ शहरों की तरक्की के लिए सड़को का और सीवरेज का प्रावधान करना भी जरूरी है। पुराने सीवरेज जो 25 या 30 साल पहले लगे थे उन्होंने अब काम करना बंद कर है। शहरो की आबादी दो–दो गुणा या तीन–तीन गुणा बढ़ चुकी है

इसलिए वे सीवरेज अब काम नहीं कर रहे। जब बारिश पड़ती है तो वे सीवरेज बंद हो जाते हैं और सारे शहर मे पानी फैल जाता है इसलिए मेरी मांग है शहरों के लिए दोबारा से सीवरेज का प्रावधान किया जाए ताकि लोगो को दिक्कत न आए। शहरों के लिए दोबारा से सीवरेज बनाने की स्कीम बनायी जानी चाहिए। इसी प्रकार से शहरो में पीने के पानी की भी दिक्कत है। हांसी में दूसरा वाटर वर्क्स लगाने की स्कीम सरकार के पास है में चाहूंगा कि वह वाटर वर्क्स लगाने का जल्दी प्रबन्ध किया जाना चाहिए ताकि हांसी शहर के लोगो को पीने का पानी मिले। आज वहां पर कई–कई कालोनियो में पीने का पानी नहीं पहुँचता है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार को इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को पीने का पानी मिले। इसके साथ ही साथ जहां तक सड़कों का सवाल है। अगर कोई भी दूसरा महकमा अपनी स्कीम को पूरा करने के लिए सड़को को तोड़ता हे तो उनको यह आदेश होना चाहिए कि अगर आप इस तरह से सड़कों को तोड़ेंगे तो आपको ही यह ठीक करनी पड़ेगी। महकमें विकास के कामो के लिए सडकें तोड तो देते हैं लेकिन बाद मे वह सड़कें कई सालों तक टूटी पडी रहती हें। इसी तरह से आज बच्चों की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। हांसी मे सन 1985 में एक कालेज नेहरू के नाम से बना था। उस समय उसमे एक ही ब्लॉक बना था। आज वहां पर दस गुणा बच्चों की संख्या बढ़ चुकी है लेकिन वहां पर दूसरा ब्लॉक नही बनाया गया। मैंने चीफ मिनिस्टर महोदय से प्रार्थना की थी कि दूसरा ब्लॉक जल्दी बना दे ताकि बच्चों को पढ़ने कै लिए सहूलियत हो जाए। इन शब्दों के साथ मैं आपका और जिन्होंने बिल पेश किया है उनका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सुखबीर सिंह (रोहट): अध्यक्ष महोदय, जितने भी बिल आज पेश हुए हैं मैं उनका अनुमोदन करता हूं। आज जो इंडियन नेशनल लोकदल के साथी सदस्यो का व्यवहार इस सदन में रहा है उसकी निंदा करता हूं अपने हल्के की कुछ समस्याओ से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। नगरपालिका खरखौदा मे पिछले नौ महीने से न सैक्रेटरी है न कोई क्लर्क है। बजट तो है लेकिन बजट को खर्च करने वाला कोई नहीं है। नगरपालिका खरखौदा मे क्लर्क और सैक्रेटरी की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा जितनी अवैध कालोनिया हैं उनका फायदा तो कालोनाइजर्स उठा गए और उनमे जो रहते हैं गरीब, हरिजन, बैकवर्ड क्लासिज के लोग और छोटे किसान, वे उनका फायदा नहीं उठा सके। उन कालोनियो को अथोराइज किया जाए और उनमें बिजली, पानी आदि की सुविधा दी जाए। जो साहूकार लोग हैं वे सैक्टरो में 500–1000 गज के प्लॉटों में रहते हैं और जो गरीब लोग अवैध कालोनियों मे रहते हैं इनमें कांग्रेस के भी काफी सारे वोटर हैं। एक इंडस्ट्रीज के बारे मे इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया घोषित करने के लिए एक बिल पास हुआ था, उसमें इंडस्ट्रियल पोलिसी के तहत देहातों का लाल डोरा बढ़ाया जाए क्योकि इंडस्ट्री लगने से उनके आसपास जो फैक्ट्रियों और इंडस्ट्री में नौकरी करते हैं वे किराएदार बहुत आ जाते हैं और उनके रहने की समस्या आ जाती है इसलिए लाल डोरा बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त प्रदूषण का विशेष ध्यान रखा जाए। जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया था। 20 साल हो गए लेकिन दिल्ली से प्रदूषण नहीं हटा। हम चाहते हैं कि हरियाणा को पहले ही प्रदूषण रहित करके आगे चलें। इन शब्दों के साथ आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

The Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

The Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved--

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा लैजिक्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एंड अलाउंसिज (अमैंडमैंट) बिल, 2005

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill. 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries **and** Allowances (Amendment)) Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration **at** once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा सैलरीज एंड अलाउंसिज ऑफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट) बिल, 2005

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Salaries and Allowances of Ministers

(Amendment) Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker.: Motion moved—

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री तेजेन्द्रपाल सिह मान (पाई): धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और मन्त्रियों के वेतन बढ़ाने की बात है। स्पीकर सर, मैं यह समझता हूं कि जो वेतन बढ़ाने की बात की जा रही है वह थोड़ी है क्योकि आजकल सभी पोलिटिकल आदमी की चार–चार जगह इस्टैब्लिशमैंट होती हैं। चण्डीगढ़ में, अपनी कॉंस्टीच्युएंसी में और अपने निवास स्थान पर रहते हैं। यह तो matter of conviction है कि पौलिटिकल ऐकसपैसिज मंत्रियो के विधायको से ज्यादा रहते हैं। इतने ज्यादा घूमते हैं कि डीजल का खर्चा ही महीने मे 30–40 हजार रुपए आ जाता है। आज गाड़ियों की कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं। आपको पता है कि एक पौलिटिकल आदमी के घर 400–500 आदमी दिन में आते हैं जिनको चाय पिलाने का खर्चा भी होता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध हे कि अगर वेतन बढ़ाने हैं तो ढंग से बढाए वरना तो सारा ही वापस ले लें हमे कोई ऐतराज नहीं है। जैसे पहले रह रहे थे वैसे ही अब रह लेगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि 1 ज्जा–रुपये का भत्ता बढ़ाना बहुत कम है हमारी दुर्दशा पर ध्यान दें और भत्ता ज्यादा बढाया जाए। धन्यवाद।

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल): स्पीकर सर, हमारी सोच हिपोक्रैट बहुत है हम ऊपर से कुछ और हैं और असलियत मे कुछ और हैं। मुझे यह कहते हुए डर लगता है लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा चाहे इसमें कोई बुरा समझे या चाहे कोई अच्छा समझे। लेकिन अगर हम ईमानदारी की बात करें तो मत्री की तनख्वाह कम से कम एक लाख रुपये प्रति माह होनी चाहिए और एम०एल०ए० की तनख्वाह 50 हजार रुपये प्रति माह होनी चाहिए। अगर बेईमानी की बात करनी है तो हमारे से एक लाख रुपये घर से ले लें और हमें एम०एल०ए० बना दें। लेकिन मुझे पता है कि इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को और सरकार को कम्पैल नहीं कर सकते। हमें कोई एतराज नहीं है कि इसके लिए हाई कमाण्ड ऐतराज करेगी या अखबार वाले कुछ और लिख देगे। लेकिन अखबार वालों को भी पता हे कि आज एक आदमी का कितना खर्चा है। मुख्यमंत्री जी आप जानते हैं कि अगर कोई आदमी शाम को आपके घर, किसी मंत्री के घर या किसी एम०एल०ए० के घर आ जाये तो आप उसको यह तो नहीं कह सकते कि मेरे घर पर क्यों आये हो। उसके बाद उसको खाना भी खिलाना पड़ता है। इस बारे में समी को पता है कि किसी को इस प्रकार इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए यह हिपोक्रेसी है, हम नही कर रहे हैं, अगर ईमानदारी को रखना है, लोगो को ईमानदार रखना है तो सच्चाई को फेस करना पड़ेगा।

श्री नरेश मलिक (बादली): अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय जी को भी कहना चाहूंगा और मैने बी०ए०सी० की मीटिंग में भी कहा था, मैं खुद को बात नहीं कर रहा हू, हकीकत यह है कि ईमानदारी से एम०एल०ए० का खर्चा देख लें तो वह बेचारा रोज कम से कम 200 लोगों को 200 कप चाय पिलाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नरेश मलिक जी, आप बैठे। (शोर एव व्यवधान)

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I

beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री रामकुमार गौतम (नारनौंद): अध्यक्ष महोदय, ये जो मंत्रियो और एम०एल०एज० की बात मेरे से पहले कई साथियो ने कही यह बिलकुल सही बात है। अगर असलियत में ईमानदारी से चलें, नेकनियती से चलें तो किसी का भी खर्चा लाख रुपये से कम नहीं है, इसमे कोई शक नहीं है। ट्रैवलिंग अलाउंस भी सवा लाख रुपए की बजाय ज्यादा हो जाए तो अच्छा रहेगा क्योकि असलियत मे ईमानदारी से. रोजाना रोटीन देखें तो इससे कम खर्चे का तो कोई मतलब ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमारे भाई चौ० बीरेन्द्र सिह जी बहुत बढ़िया आदमी है, मुख्यमंत्री जी और बीरेन्द्र सिंह जी दोनों भाइयो की जोड़ी छोटे बड़े भाई की है। मैंने इनको इनकी कोठी पर याद दिलवाया था कि आपने व्यान दिया था कि हर एम०एल०ए० की कंस्टीच्यूसी ग्रांट 50 लाख रुपये करेंगे। आपने ध्यान दिया था। (शोर एवं व्यवधान) आप महसूस न करे और सुने। आप किसी को हैंडीकेप्ट न बनाओ। अध्यक्ष महोदय, एम०पीज० की भी कंस्टीच्यूसी ग्रांट 2 करोड़ रुपये है। पंजाब में भी यह ग्रांट है और दूसरी स्टेट्स में भी है। मुख्यमंत्री महोदय जी, एम०एल०ए० की कंस्टीच्यूसी ग्रांट एक करोड़ रुपये करके अच्छा नाम लिखवा जाओ। किसी ने क्या करना है सिर्फ इतना ही बताना है कि ये सड़क बना दो, यह गली बना दो। कोई एम०एल०ए० गांव मे जाएगा तो गांव मे उसकी इज्जत हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, एक एम०एल०ए० जी हजूरी करता फिरे कि भाई बीरेन्द्र सिंह जी, भाई हुडा जी मेरे गांव की यह गली बना दो, यह सड़क बना दो तो मैं कहना चाहूंगा कि

as a matter of right यह दिन तो सबने देखना है। अब की बार जो भाई काचे काट रहे हैं अगले गेड़े मे पता नहीं उनके साथ क्या बीतेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा पक्का कानून बनाओ जो आगे के लिए कानून बन जाए और एक अच्छी रिवायत बन जाए ऐसी मेरी मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना है।

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैशन ऑफ मैम्बर्ज) सैकिण्ड अमैंडमैंड बिल, 2005

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, **I** beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, 2005.

Sir, I also move—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री, धर्मबीर गाबा (गुडगांव): अध्यक्ष महोदय, यह जो अमैडमैंट लाई गई है इसके बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं भी आपके माध्यम से

एक–दो बातें कहना चाहूंगा कि विधायको की डेली 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये की गई है इससे क्या फर्क पड़ता है जो 100 रुपये की बढ़ौतरी की गई है, 100 रुपये की तो लोग हर रोज बीड़ी पी जाते हैं इसलिए इस बारे मे मैं कहना चाहूंगा कि विधायको की डेली 500 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये की जाये। दूसरी बात मैं मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो 1.25 लाख रुपये विधायको को सालाना ट्रैवलिंग एलाउंस के फैमिली के साथ दिए जाते हैं उनको भी बढ़ाकर 2.00 लाख रुपये किया जाये। 2.00 लाख रुपये करने से टोटल 60 लाख रुपये का फर्क पड़ता है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा): अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष का नेता भी रहा और विधायक भी रहा। उस समय से ही ट्रैवलिंग एलाउंस 1.25 लाख रुपये सालाना है। विधायकों को बहुत ज्यादा इधर–उधर जाना पड़ता है इस बारे में मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि एक तो जो इसके लिए बिल देना पड़ता था वह अब नहीं देना पड़ेगा और इसको 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.00 लाख रुपये सालाना किया जाता है इसके साथ–साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि विधायको को जो 8 रुपये प्रति कि०मी० दिए जाते हैं उसको बढ़ाकर 10 रूपये प्रति कि०मी० कर दिया गया

चौ० अर्जन सिंह (छछरोली): अध्यक्ष महोदय, जो ये 100 रुपये डेली अलाउंस के बढ़ाये हैं इसको भी अधिक किया जाये।

परिवहन मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): मुख्य मन्त्री जी की तरफ से तीसरी घोषणा भी है। सभी साथी कमेटी रूम में से अपने–अपने नए आई०बी०एम० के कम्पयूटर्ज तथा बढ़िया प्रिंटर्ज साथ लेकर जाएं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जिनको कम्प्यूटर्ज चलाने नहीं आते उनके लिए स्पैशल कम्पयूटर क्लासिज का प्रावधान हम करेगे।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, ऑनरेबल मैम्बर्ज ने अपनी बात कही कि एम०एल०ए० की इतनी तनख्वाह होनी चाहिए लेकिन मैं एक टैक्नीकल बात का जिक्र करना चाहूंगा। लोग हमसे भी पूछते हैं कि मैम्बर की तनख्वाह कितनी है। हम लोगों को ऐ०आई०सी०सी० से भी एक लैटर आया हे कि एक महीने की तनख्वाह भेजो। मैं खुद भी इस बात दफे लेकर फजल हो गया क्योकि हमारी तनख्वाह तो है ही नही। स्पीकर डिप्टी स्पीकर, मिनिस्टिर और चीफ मिनिस्टर सभी की तनख्वाह है लेकिन हमारे तो सिर्फ अलांसिज हैं। यह बात सही है कि कहीं पर भी हमारी तनख्वाह नहीं हे, उसका कोई प्रावधान नहीं है लेकिन जो टैक्नीकल बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि एक तरफ तो अलाउसिंज हैं तनख्वाह नहीं है दूसरी तरफ पैंशन की बात है when there is no pay no salary, there is no question of pension.

चौ० अर्जन सिंह: स्पीकर सर, जितने भी प्रस्ताव पास किए हैं मुझे तो यह पता ही नहीं है कि क्या पास किया है क्योंकि आपने सभी बिल अंग्रेजी में पास किए हैं और जो भी पास किए हैं मैं उन सब से सहमत हूं और सरकार की सब एक्टिएविटीज से भी सहमत हूं। सरकार की मन्शा बहुत अच्छी है और जो कुछ पास किया गया है वह सब ठीक है और मैं उन सभी से सहमत हूं। (विघन) स्पीकर साहब, मैं अपने हल्के की भी कुछ बा त कहना चाहता हूं इसलिए यह निवेदन हे कि आप मेरी बात सुन लै।

श्री अध्यक्ष: हल्के की बात इस समय नहीं आएगी इसलिए अभी आप अपनी सीट पर बैठें। (विघन)

चौ० अर्जन सिंह: ठीक है जी।

Mr. Speaker: Question is--

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब पेसैंजर्ज एंड गूड़स टैक्सेशन (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2005

Mr. Speaker: Now, the Transport Minister will introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved--

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is– -

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा फिस्कल रिस्पोसिबिलीटी एंड बजट मैनेजमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2005.

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2005

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Fiscal Responsibiliy and Budget Management (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, जो हरियाणा फिस्कल रिसपोसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमैट (अमैंडमैन्ट) बिल, 2006 माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है कि सरकार के अंदर जो पब्लिक अण्डर टेकिंग्ज हैं, गवर्नमैंट इस्टीच्यूशंज हैं या दूसरे संस्थान हैं उनमे जो फिजूलखर्चियां हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस बिल की क्लाज 3 (।।।) (ई) मे इन्होंने कहा है

"Bring out special reports along with the budget giving details of number of employees in Government, public sector and aided institutions and their related salaries".

अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी बहुत ही अनुभव रखते हैं। मैं और सारा सदन उनसे उम्मीद रखते हैं कि इस बिल के माध्यम से जहां

उन्होने पब्लिक अंडर टेकिग्ज के उन अधिकारियों की बात की है जिनको सैलरीज दी जाती है तो कई पब्लिएक अंडर हाकंग्ज एसे। हैं जिनके अदर हमें यह विचार करना है कि जो हमारे आई०ए०एस० या एच०सी०एस० अधिकारी हैं जो इनको चलाने मे लगे हुए दै, अगर वे इनको ठीक तरह से नहीं चला पा रहे हैं तो उनकी जगह पर टैक्नीकल ओफिसर्ज लगाने चाहिएं और उनकी सैलरीज के बारे में भी सोचना चाहिए। इससे पब्लिक अंडर टेकिंग्ज का जो घाटा है वह पूरा हो सकता है और इसी के साथ–साथ प्रदेश के लोगो को रोजगार भी मिल सकता है। शूगर मिल्ज में या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट मे जो रोडवेज की वर्कशाप हैं, रोडवेज को चलाने की जो डिपोज हैं उनके लिए टैक्नीकल आदमी लिए जा सकते हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट या प्रदेश के अंदर जो दूसरे टैक्नीकल डिपार्टमैटस है वहां पर बहुत से टैक्नीकल लोगों को लगाया जा सकता दै। जा आप यह फिरकल रिसपोसिबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं तो यह जरूरी होना चाहिए कि जहां कहीं पर भी किसी अधिकारी ने विभाग को चलाने मे अनियमितताएं बरती हैं, डैलीब्रेटली डिपार्टमेंट का नुक्सान किया है और अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं किया है तो उनकी न सिर्फ रिसपोसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए बल्कि उनकी अकाउटेबिलिटी भी फिक्स करनी चाहिए। उनकी सेलरी से यह तमाम पैसा रिकवर करने का भी प्रावधान इनको करना चाहिए और उनके खिलाफ क्रिमनल केस दायर करने का भी प्रावधान करना चाहिए। डिपार्टमैंट्स को ठीक तरह से चलाने के लिए हर डिपार्टमैंट के अंदर मर्यादाएं कायम की जानी चाहिएं, नियमों में बदलाव करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मिसाल के तौर पर जैसे सरकारी महकमों के भवन बनाए जाते हैं और सड़कें बनायी जाती हैं तो हर सड़क पर और हर भवन के बाहर इनको नियमो मे बदलाव

करके एक बोर्ड लगाना चाहिए कि किस भवन पर कितना पैसा खर्च होने जा रहा है, उसका इंजीनियर कौन होगा, उसका ठेकेदार कौन होगा और कितने साल तक कौन सा काम उस भवन में या उस सड़क पर दोबारा से नहीं करवाया जाएगा और अगर यह काम दोबारा से करना पड़ा तो उस वक्त के अधिकारियो के खिलाफ, उस वक्त के ठेकेदारों के खिलाफ क्या ये रिसपोसिबिलिटी फिक्स करने का प्रावधान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब कोई डिपार्टमैंट या कोरपोरेशन ठीक नहीं चलते हैं तो वहां के अधिकारियों को और कर्मचारियो को रिट्रैच करने की नौबत आ जाती है और उनको रिट्रैंच किया भी जाता है, इससे सरकार की बदनामी भी होती है। रिट्रैचमैन्ट कर्मचारियो को या दूसरे अधिकारियो को स्थापित करने के लिए दोबारा से सहूलियतें देने के बारे मे भी इनको एक कमेटी बनानी चाहिए। एक इस बिल के अंदर Statement of Objects and Reasons में जो आपने लिखा है। वित्त मंत्री जी, यह सदन आपसे और मुख्यमंत्री जी से यह उम्मीद करता है कि जहां आप अमैंडमैंट ला रहे हैं वह अच्छी बात है लेकिन इस अमैंडमैंट में जो एक बहुत ही अच्छा काम है उसको आप हटाने जा रहे हैं। इसमे लिखा है –

"Secondly, there is a provision for setting up an agency independent of the State Government to review periodically the compliance of the provisions of the Act.

यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो मुख्यमन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि सरकार विभाग के हर अदायरे में पारदर्शिता लाने –मे लगी हुई है। मे वित्त मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि इसमे इंडिपैडैंट एजेंसी न केवल रखने की जरूरत है बल्कि मजबूत बनाने की जरूरत है। इस इडिपैंडैंट ऐजेंसी को इतने अधिकार देने चाहिएं जिससे पूरा शिकंजा विभागों पर,

अधिकारियों के ऊपर और उनके कार्यों के ऊपर वह रखे। जहां कहीं भी गलत काम होते हैं वहां न सिर्फ उनकी रिस्पोसिबिलिटी फिक्स करे बल्कि पूरे कानूनी तौर पर उसकी रिकवरी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और एक स्पैशल रिपोर्ट भी हो, वह विभाग विधान सभा को देने की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना): स्पीकर सर, दलाल साहब ने जो बात उठाई है मैं इनके समर्थन मे बोलना चाहता हूं। इसमें छह महीने पहले अमैंडमेट लाए थे और वित्त मंत्री जी ने 6 महीने पहले यह नया ऐक्ट बना है, उसके अंदर प्रावधान किया था, "There shall be an agency independent of the State Government. What has happended after six months that you want that it shoud be omitted." छह महीने के बाद क्या हो गया, क्या ऐसे कारण बन गए कि पहले इंडिपैंडैंट एजेन्सी का प्रावधान किया. अब उसको ओमिट करना चाहते हैं। इससे ट्रांसपेरेसी का पता लगेगा। हम ट्रांसपेरेंसी चाहते है। हमारी सरकार का नारा है `Everything should be transparent.' सबको पता लगे कि गवर्नमैंट इसे किस वजह से लाई है।

18.00 बजे

वित्त मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सैशन में यह नया ऐक्ट बना था और इसको बनाने का कारण सिर्फ यह था कि 12th फाइनैंस कमीशन ने कुछ रिकमंडेशंज की थी और स्टेट्स की सरकार के लिए इसमें कुछ गाईडलाइस तय की गई थीं। उन गाईडलाइज के मद्देनजर यह ऐक्ट बनाना हमारे लिए अनिवार्य था क्योकि रिजर्व बैंक ऑफ इडिया ने 12th फाइनैंस कमीशन की रिकमंडेशन पर आधारित शर्तें तय की थी उसमें मोटे तौर पर यह था कि राज्यों का जो फिस्कल मैनेजमैंट, वित्तीय जो प्रबंधन है उस पर कड़ी नजर रखेंगे। उसके लिए यह तय किया था कि

अगले 5 साल मे 2008–09 तक जो रैवन्यू रिसीट्स का एक्सपैडीचर डेफिसिट है वह जीरो होना चाहिए, तब हमारे को कुछ कसैशन देगे। इसी प्रकार से फिस्कल डैफिसिट तीन परसैंट से अधिक नहीं होना चाहिए हमने जब इसको ऐक्ट की शक्ल मे दिया तो उसके बाद गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की फाइनैंस मिनिस्ट्री ने जिस आधार पर हमने यह बनाया था उसमे कुछ संशोधन के लिए लिखा था कि इसमे कुछ संशोधन कीजिए। वह जो संशोधन उन्होने पहले किया था सिर्फ वही संशोधन हम इस ऐक्ट में लेकर आए हैं। इसमे आपने जो आपत्ति की है वह यह है कि इडिपैंडैंट ऑफ दि स्टेट गवर्नमैंट। सर, हमने इस पर जो प्रावधान किया था इस पर भी उन्होंने आपत्ति की थी। लेकिन वित्त मंत्री की अध्यक्षता मे हमने एक कमेटी का गठन किया है। जो लोग सरकार संबंधित नहीं हैं उनको भी इस कमेटी में रख सकते हैं। लेकिन बिलकुल ही अलग कमेटी बना दी जाए यह संभव नहीं है क्योकि बजटिंग के सबंध मे बहुत सी सिक्रेट ऐसी चीजें हैं जो ऐसी कमेटी को जिसका सरकार से कोई सरोकार नहीं है उन बातो को उस कमेटी के सामने डिसकलोज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के निर्देश हमें भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय से मिले थे। उन निर्देशो की हमने पालना की हे। दूसरी बात एक प्राईवेट इन्टीच्यूशज के बारे मे कही गई कि जो प्राईवेट कालेजिज या गवर्नमेट एडिड स्कूल्ज है जिनको सरकार की तरफ से 95 प्रतिशत ग्रान्ट दी जाती है। ऐसी संस्थाएं जिनको चलाने के लिए सरकार मदद करती है। इन सब बातों को मध्यनजर रखते हुए कारपोरेशंज और बोर्डस की यह सारी पिक्चर हमने सदन के सामने रखी है ताकि उनका हिसाब–किताब सदन के सामने आ सके। इसलिए कारपोरेशंज और बोर्डस को भी हमने इस दायरे में लिया है ताकि सदन के सामने यह बात न आये

कि यह तो इन्डीपैंडैंट बॉडी है, यह तो कारपोरेशन है और यह तो पैन्डरेशन है। एक समय ऐसी स्थिति आयेगी कि ऐक्ट के तहत इन संस्थाओ का लेखा–जोखा हम सदन के पटल पर रखेंगे। आडिट की जहां तक बात है हम तो यह चाहते हैं सारे सिस्टम को सैन्ट्रलाईज करके किसी तीसरी एजेन्सी द्वारा आडिट करवाया जाये ताकि इन्टायर सिस्टम ट्रान्सपेरेट हो जाए। लेकिन अभी हमने यह बात विभागों पर ही छोड़ दी हे। ट्रासपोर्ट मिनिस्टर इस बात से सहमत होगे क्योकि ट्रांसपोर्ट विभाग ने तो यह काम करना शुरू भी कर दिया है। जो डिपाटमैंट एक्सट्रनल एजेन्सी से आडिट करवाने के पक्षधर हैं चाहे वे किसी भी संस्था से आडिट करवाये तो वे डिपाट–मैट्स अपना फैसला खुद लेने के अधिकारी हैं। रिसैन्टली ट्रान्सपोर्ट विभाग ने ऐसा फैसला किया है। जहां तक रिट्रेन्वड इम्पलाईज का मुद्दा उठाया गया वैसे इसका उससे कोई संबंध नहीं है। जेसे मैंने कहा कि सारी की सारी बोर्डस और कारपोरेशज का लेखा–जोखा हमें उपलब्ध हो जायेगा जिसके कारण राज्य सरकार और वित्त विभाग उनको ज्यादा मोनीटर कर सकेगी। रिट्रैन्वड इम्पलाईज की समस्या के बारे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी की 4–5 मीटिंग्ज हो चुकी हैं लेकिन कोई माननीय सदस्य यह कहे कि कितने समय तक यह फैसला करेगे यह कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योकि इसमे बहुत सारी कम्पलैसिटीज है। इसके लिए आकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं कुछ तो आकड़े इकट्ठे हो चुके हैं और बहुत से इकट्ठे होने बाकी हैं! यह बात तो हमने अपने घोषणा–पत्र में भी कही थी कि पिछली सरकार ने जो भी अनियमितताएं या नाजायज बात की हैं उन सबको हम ठीक करेंगे और जिन

कर्मचारियों को अन्याय मिला है उनको हम न्याय दिलायेगें यह मैं इस सदन को आश्वासन देता हूं।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा मुर्रा बुफैलो एंड अदर मिल्ज एनीमल बीड (प्रिजरवेशन एंड डिवैल्पमैंट ऑफ एनीमल हस्बैंडरी एंड डेयरी डिवैल्पमैंट सैक्टर) अमैंडमैंट बिल, 2005

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Murrah Buffalo and other Mulch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill, 2005 .

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved--

That the Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Murrah Buffalo and other Mulch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir,

I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2005

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members)Amendment Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, there is one more announcement that **I** want to make. The Hon'ble Chief Minister has directed, besides raising the limit of housing loan from Rs. 12 Lakhs to Rs. 20 lakhs in this Bill, the Government has also decided that for house loan and car loan both, the rate of interest will be reduced from 7% per annum to Rs. 4% per annum and necessary amendment will be brought in the rules.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Thanks all of you for giving me cooperation to conduct the proceedings of the House. Now, the House stands adjourned sine die.

8.12Hrs.

(The Sabha then *adjourned sine die)